



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 82-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 29, 2026 (JYAISTHA 8, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मई, 2026

संख्या 07/एस०टी०-1.- चूंकि, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35) के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित स्कीम अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1.	(1) यह स्कीम बकाया देयों की वसूली हेतु हरियाणा एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 कही जा सकती है। (2) यह प्रथम जून, 2026 से लागू होगी।	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।
2.	(1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— (क) "आवेदक" से अभिप्राय है, कोई भी निर्धारित या कोई व्यक्ति, जो किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देयों का भुगतान करने के लिए दायी है, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, और जो इस स्कीम के अधीन आवेदन कर के लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है; (ख) "नियत दिन" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि, जिसको इस स्कीम के उपबंध लागू होंगे; (ग) "दस्तावेज-आधारित छूट" जिसे, इसमें, इसके बाद डीएलडब्ल्यू के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से अभिप्राय है, इस स्कीम के अधीन किसी आवेदक को स्वीकार्य छूट की वह राशि, जो उस छूट/कटौती की राशि के बराबर होगी, जो सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन सांविधिक घोषणा प्ररूपों (वैट डी-1, वैट डी-2, कर बीजक/ग-4, प्ररूप-ग, प्ररूप-च, प्ररूप-ज, ई-1 और ई-2) के प्रस्तुत करने से उत्पन्न होगी, जिन्हें आवेदक ने इस स्कीम के अधीन अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है और वे असली पाए गए हैं। दस्तावेज आधारित छूट, जहाँ भी लागू हो, केवल निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक अधिनियमों के अधीन बकाया देयों पर ही उपलब्ध होगी, अर्थात् :- (i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), (ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74),	परिभाषाएं।

	(घ) "आधिकारिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के अधीन कोई आवेदक आता है; (ङ) "शुद्ध कर मांग" से अभिप्राय है, कर मांग से दस्तावेज आधारित छूट प्राप्त करने के बाद शेष बची कर की राशि। जहां दस्तावेज आधारित छूट लागू नहीं है, उन मामलों में शुद्ध कर मांग, बकाया कर मांग होगी। (च) "निर्धारित बकाया देय" से अभिप्राय है, कोई भी कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य निर्धारित देय राशि, 30 जून, 2017 तक की किसी भी अवधि के लिए सुसंगत अधिनियमों के अधीन, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो; (छ) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्राय है, इस स्कीम के खंड 4 में उल्लिखित अधिनियम; (ज) "व्यवस्थापन राशि" से अभिप्राय है, आवेदक द्वारा अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि; (झ) "मानक छूट" वह छूट है, जो इस स्कीम से संलग्न अनुसूची-I और Iक, जैसी भी स्थिति हो के अनुसार सभी आवेदकों पर लागू होती है; (2) इस स्कीम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सुसंगत अधिनियमों में दिए गए हैं।
निर्धारित बकाया देयों का निर्धारण।	3. (1) यह स्कीम में यथा अधिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित बकाया देयों के बदले स्कीम में यथा उपबन्धित छूट का लाभ उठाने के बाद स्कीम के उपबन्धों के अनुसार संगणित व्यवस्थापन राशि जमा करके और स्कीम में वर्णित निबन्धन तथा शर्तों के अध्वधीन सुसंगत अधिनियम (अधिनियमों), के अधीन निर्धारित बकाया देयों की त्वरित वसूली का उपबंध करती है। (2) निर्धारित बकाया राशि का व्यवस्थापन स्कीम के निबन्धन और शर्तों के अध्वधीन केवल प्ररूप ओटीएस-1 में किए गए आवेदन पर ही किया जाएगा। (3) किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष निर्धारण वर्ष में किसी निर्धारिती का निर्धारित बकाया कर देय एक लाख रुपये तक है, तो उस विशेष निर्धारण वर्ष के लिए ब्याज और शास्ति सहित पूरी बकाया देय राशि को स्कीम के अधीन माफ कर दिया जाएगा और उसे सुसंगत अधिनियम के अधीन उस निर्धारण वर्ष के संबंध में इस लाभ का उपभोग करने हेतु इस स्कीम के अधीन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। (4) हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 28 के उपनियम (6) और 29 के उपनियम (7) के अधीन निर्धारित प्ररूप छ-3 में 'मांग और निपटान रजिस्टर' को निर्धारित बकाया राशि का निर्णायक प्रमाण केवल उन मामलों में माना जाएगा, जहाँ निर्धारण का कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
सुसंगत अधिनियम।	4. (1) यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमों पर लागू होगी, अर्थात्:- (i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6); (ii) केन्द्रीय ब्रिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74); (iii) हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23); (iv) हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16); (v) हरियाणा साधारण ब्रिक्री कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20); (vi) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13); (vii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)। (2) आवेदक नियत दिन से एक सौ बीस दिन के भीतर सुसंगत अधिनियमों में से किसी एक या अधिक के अधीन इस स्कीम का विकल्प चुन सकता है। तथापि, यदि कोई आवेदक एक से अधिक सुसंगत अधिनियमों के अधीन आवेदन करने का विकल्प चुनता है, तो उसे प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के लिए एक अलग आवेदन दायर करना होगा। चुने गए सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया का व्यवस्थापन वर्ष-वार किया जाएगा। आवेदक अपनी निर्धारित बकाया राशि के निपटान के लिए, अपनी पसंद के अनुसार, एक या अधिक निर्धारण वर्षों का विकल्प चुन सकता है। और ऐसे मामले में उस सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए एक अलग आवेदन भी दायर किया जाएगा। (3) इस स्कीम के अधीन भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि, उस सुसंगत अधिनियम के खजाना शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी, जिसके लिए इस स्कीम का चयन किया जा रहा है।

(4) आवेदक अपने आवेदन के साथ, प्ररूप ओटीएस-1 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, इस आशय की आवेदन प्ररूप में और इस स्कीम के अधीन अन्य प्ररूपों में उसके द्वारा दी गई जानकारी, उसकी जानकारी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार, पूरी तरह से सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	
5. निर्धारित बकाया देयों की गणना करने के लिए किसी निर्धारण या सुधार या पुनःनिर्धारण या संशोधित आदेश द्वारा मूलतः निर्धारित बकाया देयों के पुनःनिर्धारण संबंध में, पिछले भुगतानों का समायोजन निम्नानुसार होगा:— (i) जहां स्कीम के नियत दिन से पहले आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का प्रयोजन/श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/रसीद आदि में निर्दिष्ट है, तो उसे तदनुसार यथा निर्दिष्ट माना जाएगा है। (ii) जहां स्कीम के नियत दिन से पहले किसी आवेदक द्वारा सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जमा की गई राशि का प्रयोजन/श्रेणी, विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/रसीद आदि में प्रयोजन/श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति आदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, को प्रथमतः कर घटक के लिए जमा माना जाएगा और यदि कोई शेष राशि रह जाती है, तो उसे उसके बाद सुसंगत अधिनियम के अधीन संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ब्याज और बाद में शास्ति में समायोजित किया जाएगा। (iii) किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए जमा राशि को केवल उसी सुसंगत अधिनियम में उसी विशेष वर्ष की निर्धारित बकाया कर राशि या बकाया ब्याज राशि या बकाया शास्ति राशि से समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्कीम के नियत दिन से पहले किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान के संबंध में, जो सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर घटक से अधिक है, स्कीम के अधीन आवेदक को कोई भी प्रतिदाय प्रोद्भूत नहीं होगा। (iv) आवेदक द्वारा नियत तिथि से पहले, जमा की गई कोई भी राशि केवल उस निर्धारण वर्ष की कर देयताओं के लिए समायोजित की जाएगी जिसके लिए उसे जमा किया गया था। इसे केवल तभी समायोजित किया जाएगा, जब जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान/रसीदों में स्पष्ट रूप से किया गया हो। किसी भी जमा राशि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान/रसीदों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। (v) जहां नियत दिन से पहले सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आवेदक द्वारा कुल कर राशि जमा कर दी गई है, तो आवेदक स्कीम के अधीन पात्र होगा और ब्याज या शास्ति के बदले स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए 'शून्य' हो जाएगी। (vi) पिछले भुगतानों के कारण या स्कीम के अधीन दी गई छूट के कारण या किसी अन्य परिस्थिति में आवेदक को कोई प्रतिदाय नहीं मिलेगा। किसी भी निर्धारण वर्ष में, यदि कोई अतिरिक्त राशि जमा हो जाती है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य वर्ष के लिए आगे नहीं ले जाया जाएगा, और न ही सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अवधि के लिए करदाता की किसी अन्य देनदारी के प्रति समायोजित किया जाएगा। (vii) जहां इस स्कीम के अधीन स्कीम के नियत दिन को/इसके बाद से आवेदन प्ररूप ओटीएस-1 प्रस्तुत करने की तिथि तक व्यवस्थापन राशि के लिए कोई भी राशि जमा की जाती है, तो उसे उसकी निर्धारित बकाया राशि के व्यवस्थापन राशि में गिना जाएगा।	निर्धारित बकाया देयों के निर्धारण के लिए पूर्व शर्तें।
6. किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कोई निर्धारित बकाया देयों का भुगतान करने की जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति और जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, उसे हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग के पोर्टल पर अपनी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य विवरणों के आधार पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। सफल पंजीकरण होने पर, एक आईडी और एक 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) जनित होगा, जिसे आवेदक को उसके देयों मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा। आवेदक अपने बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए, उपरोक्त यथा वर्णित आईडी का उपयोग करते हुए, विधिवत् हस्ताक्षरित और 'इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड' के माध्यम से सत्यापित अपने सभी आवेदन (ओटीएस-1) विभाग के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।	आवेदकों का पंजीकरण।

दस्तावेज-आधारित छूट।	7. (i) दस्तावेज आधारित छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके पास सुसंगत अधिनियमों के अधीन निर्धारित बकाया देय है, और यदि बकाया देय की कर मांग या उसका कोई भाग वैधानिक प्ररूप जमा न करने के कारण उत्पन्न हुआ है। (ii) दस्तावेज आधारित छूट चाहने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ, निर्धारित प्ररूप के अनुसार, वैधानिक प्ररूपों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होगा। जमा किए जा रहे दस्तावेजों/सांविधिक प्ररूपों की एक सूची आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1 में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी। आवेदक अपनी कर मांग में से दस्तावेज आधारित छूट को घटाकर अपनी 'शुद्ध कर मांग' का स्व-मूल्यांकन करेगा। दस्तावेज आधारित छूट चाहने वाला आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची-1 या अनुसूची-1क के अनुसार मानक छूटों का भी हकदार होगा। आवेदक, अपनी 'शुद्ध कर मांग' का स्वयं से आकलन करने के बाद, ओटीएस-1 में अपना आवेदन पूरा करेगा और उसे पोर्टल पर जमा कर देगा। इसके बाद, आवेदक को अपना ओटीएस-1 आवेदन ऑनलाइन जमा करने के सात दिन के भीतर, आधिकारिक प्राधिकारी के कार्यालय में प्ररूप भौतिक रूप में जमा करने होंगे। आवेदक द्वारा जमा किए गए भौतिक वैधानिक प्ररूपों/दस्तावेजों का मिलान ओटीएस-1 में दी गई सूची से किया जाएगा। प्राप्त दस्तावेजों/सांविधिक प्ररूपों की, सिस्टम द्वारा तैयार की गई पावती, प्ररूप ओटीएस-2क में जारी की जाएगी। (iii) दस्तावेज से जुड़ी छूट केवल वैधानिक प्ररूपों पर लागू होगी, नामतः- वेट डी-1, वेट डी-2, कर बीजक/ग-4, प्ररूप ग, प्ररूप च, प्ररूप ज, ई-1 और ई-2. यह छूट केवल उन सांविधिक प्ररूपों/दस्तावेजों के संबंध में दी जाएगी, जो सत्यापन के बाद असली पाए जाते हैं। तथापि, ऐसे किसी भी सांविधिक प्ररूप/दस्तावेज के संबंध में ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी, जिसे आधिकारिक प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद, उस आदेश को पारित करते समय अस्वीकार कर दिया था जिससे बकाया देय उत्पन्न हुए थे (मूल मूल्यांकन आदेश, सुधार, पुनर्मूल्यांकन या संशोधन आदेश)। तथापि, यह छूट ऐसे प्ररूपों को नहीं दी जाएगी जिन्हें जाली/नकली घोषित किया गया है, या जहाँ ऐसे फर्मों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। (iv) सत्यापन की प्रक्रिया, उचित क्षेत्राधिकार वार्ड में सांविधिक प्ररूपों/दस्तावेजों की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों/ सांविधिक प्ररूपों का सत्यापन, स्कीम के समापन के तीन मास के भीतर पूरा कर लिया जाएगा या ऐसे समय तक, जिसे आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा बढ़ाया जाए। (v) ऐसे वैधानिक प्ररूपों/दस्तावेजों के लिए दस्तावेज-आधारित छूट का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होगा, जिनका सत्यापन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जा सका हो। तथापि, आवेदक स्कीम के अधीन दिए गए अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। वैधानिक प्ररूपों/दस्तावेजों की अस्वीकृति से उत्पन्न व्यवस्थापन राशि की कमी के बारे में आवेदक को प्ररूप ओटीएस-3 में उपरोक्त खण्ड (iv) के अधीन यथा विहित अवधि के भीतर दिया जाएगा। आवेदक को व्यवस्थापन राशि में कमी को पूरा करने के लिए, यह राशि एकमुश्त, अपने उत्तर के साथ प्ररूप ओटीएस-3क में प्ररूप ओटीएस-3 में नोटिस मिलने के पंद्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी। (vi) जहाँ दस्तावेज आधारित छूट का लाभ लेने के लिए दिया गया आवेदन, अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार सही नहीं पाया जाता है, या निर्धारित समय के भीतर कमी वाली उसमें मौजूद कमी को दूर नहीं किया जाता है, या निर्धारित समय के भीतर कमी वाली राशि जमा नहीं की जाती है, तो प्ररूप ओटीएस-5 में आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश जारी किया जाएगा। आवेदन को शुरू से ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को जमा किए गए दस्तावेजों/ सांविधिक प्ररूपों का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि जैसे कोई आवेदन कभी किया ही नहीं गया था। बकाया देय वही रहेंगे जो आवेदन दायर करने से पहले थी। व्यवस्थापन राशि के रूप में दायर की गई राशि को बकाया राशि के मद्दे समायोजित कर दिया जाएगा। कोई भी राशि प्रतिदाय नहीं की जाएगी। बकाया देयों की वसूली के लिए सुसंगत अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही जारी रहेगी।
निर्धारित बकाया देयों का व्यवस्थापन और आवेदन प्रक्रिया।	8. (1) आवेदक को, व्यवस्थापन राशि के तौर पर, अपनी निर्धारित बकाया राशि के बदले में एक राशि का भुगतान करना होगा, स्कीम की अनुसूची-1 और 1क के अनुसार इन निर्धारित बकाया देयों के बदले में राशि, व्यवस्थापन के माध्यम से भुगतान करनी होगी।

व्याख्या: आवेदक, अनुसूची-I या अनुसूची-II, जो भी लागू हो के अधीन छूट की प्रत्येक स्लैब के लिए अलग से छूट का हकदार होगा। इन स्लैबों में, आवेदक की कर मांग के आधार पर उच्चतम स्लैब और उससे पूर्ववर्ती सभी स्लैब शामिल होंगी।

(2) जो आवेदक दस्तावेज आधारित छूट का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या इसके हकदार नहीं हैं, वे भी ओटीएस-1 भरेंगे और अपनी कर मांग पर, जैसा भी मामला हो, अनुसूची-I या अनुसूची-II के अनुसार छूट का दावा करेंगे।

(3) सुसंगत अधिनियम की किसी भी धारा के अधीन लगाया गया ब्याज और शास्ति, उस वर्ष के लिए माफ कर दिया जाएगा जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है, और यह छूट केवल तभी मिलेगी जब व्यवस्थापन के लिए उसका आवेदन सही पाया जाएगा।

व्याख्या— सुसंगत अधिनियम की किसी भी धारा के अधीन निर्धारित बकाया देयों पर लगने वाला ब्याज भी इस खंड में उल्लिखित ब्याज में भी शामिल माना जाएगा।

(4) सभी आवेदक, चाहे वे दस्तावेज आधारित छूट का लाभ लेना चाहते हों या नहीं, स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची-1 या 1क (जो भी लागू हो) के अनुसार उनकी शुद्ध कर मांग पर निर्भर करते हुए मानक छूट के हकदार होंगे।

(5) ओटीएस-1 की प्रक्रिया केवल व्यवस्थापन की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही पूरी मानी जाएगी। आवेदक को अपने आवेदन (प्ररूप ओटीएस-1) के साथ, व्यवस्थापन राशि के भुगतान का प्रमाण या यदि किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, तो पहली किस्त के भुगतान का प्रमाण, प्रस्तुत करना होगा।

(6) आवेदक अपने बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है या अनुसूची-II में उपलब्ध विकल्प के अनुसार किस्तों में भुगतान कर सकता है।

(7) आवेदक को व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर दूसरी किस्त का भुगतान करना होगा, जिसके साथ प्ररूप ओटीएस-1क में जानकारी भी देनी होगी, और उसके बाद, अनंतिम व्यवस्थापन आदेश ओटीएस-4क की तिथि से 120 दिन के भीतर तीसरी किस्त का भुगतान करना होगा, जिसके साथ प्ररूप ओटीएस-1ख में जानकारी भी देनी होगी।

(8) आवेदक विलंब अवधि के लिए अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के भुगतान पर दूसरी किस्त का भुगतान तीसरी किस्त की अंतिम तिथि तक कर सकता है।

(9) यदि भुगतान अनुसूची-II में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, या उपरोक्त उप-खंड (8) में दी गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो स्वीकृति का अनंतिम आदेश वापस लिया गया माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि जैसे आवेदन कभी किया ही नहीं गया था और आवेदक के विरुद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू की जाएगी और तदनुसार आधिकारिक प्राधिकारी प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा।

(10) कोई भी आवेदक, जिसने इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक सुसंगत अधिनियम के अधीन अपने बकाया देयों को निर्धारित कर लिया है, चाहे वह बकाया देय सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर अधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में हो या न हो, वह अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए इस स्कीम के अधीन आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है:

परंतु वह प्ररूप ओटीएस-4क में व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की सूचना मिलने के साठ दिन के भीतर ऐसी अपील को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के वापस ले लेगा।

(11) इस स्कीम के खण्ड 3 के उपखण्ड (3) में निर्दिष्ट निर्धारितियों को छोड़कर किसी भी आवेदक, जो कोई भी लाभ उठाना चाहता है, उसे इस स्कीम के अधीन आवेदन करना होगा।

(12) प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रस्तुत होने पर, दस्तावेज आधारित छूट से संबंधित मामलों को छोड़कर, आवेदक को प्ररूप ओटीएस-2 में सिस्टम जनित पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी। दस्तावेज आधारित छूट संबंधित मामलों में, पावती स्कीम के खंड 7(ii) के अनुसार तैयार की जाएगी।

(13) इस स्कीम के अधीन किसी भी चरण पर भुगतान की गई व्यवस्थापन राशि का कोई भी प्रतिदाय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। इसे आवेदक के विरुद्ध निर्धारित बकाया देयों में समायोजित किया जाएगा।

प्ररूप का सत्यापन तथा आवेदन ओटीएस-1 तथा डीएलडब्ल्यू का प्रसंस्करण।

9. आवेदनों के प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्:—

(1) आधिकारिक प्राधिकारी सबसे पहले, पावती मिलने के दस दिन के भीतर, प्ररूप ओटीएस-1 में दिए गए आवेदन की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे सही अधिकार क्षेत्र वाले वार्ड में भेजा गया है या नहीं। ऐसे मामलों में, यदि आवेदन उसके वार्ड से संबंधित नहीं है, तो उसे सही आवंटन के लिए उप आबकारी और कराधान आयुक्त के पास भेजा जाएगा। उप आबकारी और कराधान आयुक्त, अनुरोध प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, उसे मिले ऐसे आवेदन के लिए सही वार्ड आवंटित करेगा। वैधानिक प्ररूप/दस्तावेजों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी (वार्ड) द्वारा भौतिक रूप से स्वीकार किया जाएगा, जिसे सिस्टम द्वारा आवेदन आवंटित किया गया है। वैधानिक प्ररूप/घोषणाओं के भौतिक रूप से प्राप्त होने पर, यह आधिकारिक प्राधिकारी (वार्ड) प्ररूप ओटीएस-2क में सिस्टम द्वारा जारी एक पावती प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ आवेदन सही आधिकारिक प्राधिकारी से संबंधित नहीं है, वहाँ आवेदन को सही अधिकारी को आवंटित करने की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बाद में शुरू की जाएगी।

(2) आधिकारिक प्राधिकारी, स्कीम और सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, प्ररूप ओटीएस-1 में दिए गए आवेदन की उपयुक्तता, सही होने, बकाया देयों की गणना, संबंधित व्यवस्थापन राशि और उसकी वैधता के संबंध में जांच और सत्यापन करेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ कोई दस्तावेज आधारित छूट शामिल नहीं है, प्ररूप ओटीएस-1 के आवेदन की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया, पावती जारी होने या सही वार्ड के आवंटन के तीस दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी। ऐसे मामलों, में जहाँ दस्तावेज आधारित छूट शामिल है, प्ररूप ओटीएस-1 के आवेदन और वैधानिक प्ररूपों की घोषणाओं के सत्यापन की प्रक्रिया, खण्ड 7(iv) के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) ऐसे सभी मामलों में, जहाँ जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, आवेदक का दावा, निर्धारित बकाया देयों और स्कीम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा स्वयं निर्धारित व्यवस्थापन राशि के संबंध में सही पाया जाता है, और जहाँ भुगतान का प्रमाण तथा अन्य सभी प्रासंगिक विवरण भी सही पाए जाते हैं, वहाँ आधिकारिक प्राधिकारी या तो प्ररूप ओटीएस-4 में निपटान आदेश जारी करेगा या वह प्ररूप ओटीएस-4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश जारी करेगा, यदि आवेदक ने किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना है, अथवा उसे अपील वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(4) ऐसे सभी मामलों में, जहाँ जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, कोई कमी/विसंगति पाई जाती है, जिसमें ओटीएस-1 आवेदन में किसी भी आधार पर वैधानिक प्ररूपों/घोषणाओं का सत्यापन न होना या उन्हें अस्वीकार किया जाना शामिल है, वहाँ आवेदक को प्ररूप ओटीएस-3 में एक 'कमी नोटिस' जारी की जाएगी। यह सूचना, सत्यापन और जाँच से संबंधित खंड 9(2) या 7(iv), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी की जाएगी। इस सूचना के माध्यम से आवेदक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उक्त कमी/विसंगति को, जिसमें व्यवस्थापन की बकाया राशि भी शामिल है, यदि कोई हो, दूर करे, और इस सूचना के जारी होने के पंद्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-3क में इसका उत्तर दे।

(5) यदि आवेदक, कमी नोटिस जारी होने के बाद, निर्धारित समय के भीतर आधिकारिक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, कमी/विसंगति को दूर कर देता है, जिसमें व्यवस्थापन की बकाया राशि का भुगतान करना भी शामिल है, तो उसके द्वारा, प्ररूप ओटीएस-3क में उत्तर प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस-4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश पारित किया जाएगा।

(6) जहाँ आवेदक नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, अर्थात् उक्त नोटिस का उत्तर ओटीएस-3क में नहीं देता और कमी/विसंगति को दूर नहीं करता, तो आवेदन को लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, और ओटीएस-3क प्ररूप में जवाब मिलने के पंद्रह दिन के भीतर ओटीएस-5 प्ररूप में एक आदेश पारित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ कोई आवेदक बकाया राशि के विरुद्ध अपील में है और वह इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर अधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित इस मामले से संबंधित सभी अपीलें पूरी तरह और बिना किसी शर्त के वापस लेनी होंगी। उसे प्ररूप ओटीएस-4क प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, प्ररूप ओटीएस-6 में अपील वापस लेने का प्रमाण आधिकारिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अपील वापस लेने का आदेश इस संबंध में निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

(8) यदि प्ररूप ओटीएस-4क प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-6 प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक ने कभी आवेदन किया ही नहीं था। ऐसे में, प्ररूप ओटीएस-5 में व्यवस्थापन अस्वीकृति का आदेश पारित किया जाएगा, और आवेदक के विरुद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन लंबित कार्यवाही जारी रहेगी। (9) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकरण, हरियाणा कर अधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही, उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने इस स्कीम को चुना है, तब तक स्थगित रखी जाएगी, जब तक कि इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस-4क में व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता। (10) यदि आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर सूचना प्रस्तुत की है, उन निर्धारित बकाया देयों से संबंधित तथ्यों को छिपाकर जिनके लिए आवेदन किया गया था, दस्तावेज आधारित छूट में जमा किए गए दस्तावेज/ सांविधिक प्ररूप बाद में किसी भी चरण में, वास्तविक नहीं पाए जाते हैं, दावाकृत की गई राशि वास्तव में जमा नहीं पाई जाती या उसका पुनः उपयोग किया गया पाया जाता है, तो प्ररूप ओटीएस-4 में दिया गया व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस-4क में दिया गया अनंतिम व्यवस्थापन आदेश रद्द कर दिया जाएगा, और आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वीकृति का आदेश पारित किया जाएगा। (11) जहाँ प्ररूप ओटीएस-5 में व्यवस्थापन को अस्वीकार करने का आदेश जारी किया जाता है, वहाँ इस स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को सुसंगत अधिनियम के अधीन उसकी देनदारियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और ऐसी राशि किसी भी स्थिति में प्रतिदाय नहीं की जाएगी। (12) दस्तावेज आधारित छूट चाहने वाले आवेदनों के लिए, आधिकारिक प्राधिकारी प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 9 पर आवेदक द्वारा किए गए दावों की जाँच करेगा। जाँच की प्रक्रिया सुसंगत अधिनियम के उपबंधों और जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/ सांविधिक प्ररूपों का सत्यापन स्कीम के खंड 7(iv) में निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा। वैधानिक प्ररूपों/घोषणाओं को सत्यापित करने और स्कीम के अनुसार दस्तावेज आधारित छूट की गणना करने के बाद, आवेदन के शेष भाग की जाँच उन अन्य मामलों की तरह ही की जाएगी, जिनमें दस्तावेज आधारित छूट शामिल नहीं है। (13) इस स्कीम के अधीन सभी आवेदनों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्रवाई की जाएगी।	
10. (1) ऐसे आवेदक भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके निर्धारित बकाया देयों को आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन ऐसे देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया है। (2) आधिकारिक प्राधिकारी, प्ररूप ओटीएस-4 के सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क के माध्यम से सृजित मांग को संशोधित करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08क जारी करेगा।	विद्यमान विधि के अधीन निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 142क के अधीन उपबन्ध।
11. (1) स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य राशि के संबंध में पारित व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, इसमें कथित मामले और समयावधि के संबंध में निर्णायक होगा और आवेदक,— (क) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश में सम्मिलित मामले और समयावधि के संबंध में कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा; (ख) आदेश में सम्मिलित मामले और समयावधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने का दायी नहीं होगा। (2) ऐसे आदेश में सम्मिलित सभी मामले और समयावधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगा: परन्तु जहां आवेदन में दिए गए कोई तात्त्विक विवरण, व्यवस्थापन के आदेश के बाद मिथ्या पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाएगी।	व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से निकलने वाले विशेषाधिकार।

कर, ब्याज या शास्ति के रूप में नियत दिन से पूर्व भुगतान की गई राशि का अप्रतिदाय।	12. नियत तिथि से पहले भुगतान/जमा किया गया कोई भी कर, ब्याज या शास्ति या कोई अन्य राशि वापस नहीं की जाएगी और स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि से समायोजित नहीं की जाएगी।
व्यवस्थापन के संबंध में निर्बन्धन।	13. इस स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य किसी भी राशि का भुगतान न तो इनपुट कर के माध्यम से किया जाएगा और न ही इस राशि का सुसंगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा इनपुट कर के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी।
त्रुटियों का सुधार।	14. आधिकारिक प्राधिकारी, जिसने इस स्कीम के अधीन व्यवस्थापन आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश में अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए, ऐसे आदेश के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, स्वप्रेरणा से या इस संबंध में उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश में सुधार कर सकता है।
कठिनाई दूर करना।	15. यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबन्धों से अनसंगत प्ररूपों में संशोधन सहित ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों।
संदेह दूर करना।	16. इस स्कीम से उत्पन्न किसी संदेह के मामले में, उस पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।
स्कीम का चुनाव करने के लिए अपात्र आवेदक।	17. निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए स्कीम के अधीन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे, जहाँ,— (क) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित मांग है; (ख) जहां किसी मामले में किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गई है, तो आवेदन केवल उस सुसंगत अधिनियम के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए व्यवस्थापन का लाभ उठाने के लिए स्कीम के अधीन उपयुक्त नहीं होगा; (ग) जिस आवेदक ने हरियाणा बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 और हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और वो आवेदन नियत दिन से अस्वीकार नहीं किया गया है।
व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होना।	18. स्कीम के अधीन आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा पारित व्यवस्थापन या अस्वीकृति के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर आधिकरण, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी।
समयावधि में विस्तार।	19. (1) सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या हितधारकों के प्रतिवेदन पर, इस स्कीम के अधीन आवेदन करने के लिए समयावधि में विस्तार कर सकती है। (2) संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज) मामले दर मामले के आधार पर आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेश को जारी करने या उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा उचित अधिकारिता वार्ड के आबंटन के लिए समयावधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिकतम तीस दिन की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।
क्षतिपूर्ति।	20. (1) इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। (2) किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध केवल आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य निर्धारित बकाया देयों की राशि की गणना में बाद में त्रुटि का पता चलने के आधार पर तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जब तक कदाचार का सबूत न हो।

खाना संख्या (8) में शामिल कर की राशि <<अनिवार्य>> (शुद्ध कर मांग) [(8)-(8क)-(8ख)]	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट की प्रतिशतता (मानक छूट स्लैब के अनुसार लागू होगी)	स्कीम के अधीन खण्ड (8) के अनुसार कर की कुल स्लैब के अनुसार मानक छूट	स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य देय व्यवस्थापन राशि - खाना (9) - (खाना (11) का कुल योग)	खाना (8क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (8ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	भुगतान योग्य शुद्ध राशि (12)+(13)+(14) <<अनिवार्य>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक - 100%					
	ii) 1 लाख से अधिक से 10 लाख तक - 60%					
	iii) 10 लाख से अधिक से 1 करोड़ तक - 50%					
	iv) 1 करोड़ से अधिक से 10 करोड़ तक - 40%					
	v) 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक - 35%					
	vi) 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक - 30%					
	vii) 60 करोड़ रुपये से अधिक- 0%					
	योग					

खाना संख्या (8) में शामिल कर की राशि <<अनिवार्य>> (शुद्ध कर मांग) [(8)-(8क)-(8ख)]	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट का प्रतिशतता (मानक छूट स्लैब बार लागू होगी)	स्कीम के अधीन खण्ड (8) के अनुसार कर की कुल स्लैब बार मानक छूट	स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि - खाना (9) - (खाना (11) का कुल योग)	खाना (8क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (8ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	भुगतान योग्य शुद्ध राशि (12)+(13)+(14) <<अनिवार्य>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
62,98,75,000 रुपये	i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक - 100%	1,00,000	00	00	00	00
	ii) 1 लाख से अधिक से 10 लाख तक - 60%	5,40,000	3,60,000			3,60,000
	iii) 10 लाख से अधिक से 1 करोड़ तक - 50%	45,00,000	45,00,000			45,00,000
	iv) 1 करोड़ से अधिक से 10 करोड़ तक - 40%	3,60,00,000	5,40,00,000			5,40,00,000
	v) 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक - 35%	7,00,00,000	13,00,00,000			13,00,00,000
	vi) 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक - 30%	9,00,00,000	21,00,00,000			21,00,00,000
	v) 60 करोड़ रुपये से अधिक - 0%	00	2,98,75,000			2,98,75,000
	योग	20,11,40,000	42,87,35,000	00	00	42,87,35,000

अनुसूची-II

{देखिए खण्ड 8(6)}

किस्तों में भुगतान का विकल्प

क्रम संख्या	स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि	आवेदन के समय भुगतान की जाने वाली राशि	दूसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर) ओटीएस-4क	तीसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 120 दिन के अंदर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5 लाख रुपए तक	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ भुगतान की जाने वाली पूर्ण तथा अंतिम व्यवस्थापन राशि।	शून्य	शून्य
2.	5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 50 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत।	शून्य
3.	25 लाख रुपए से अधिक	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 40 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का 30 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1ख में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का 30 प्रतिशत।

आशिमा बराड़
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग।

प्ररूप ओटीएस-1 अनुसूची-I, Iक और II {देखिए खण्ड 3(2) और (3), खण्ड 6, खण्ड 7 (ii), खण्ड 8 (2), (5) और (10) और खण्ड 9(2)}		
हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 चुनने के लिए आवेदन प्ररूप <<सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि>>		
क्रम संख्या	विवरण	
1	(क) आवेदक का नाम (कृपया आवेदक की परिभाषा देखें)	<< अनिवार्य>>
	(ख) सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है, तो कृपया अपंजीकृत का उल्लेख करें)	<<अनिवार्य>> i. अपंजीकृत ii. वैट-पूर्व अवधि में पंजीकृत iii. वैट अवधि में पंजीकृत
	(ग) स्थायी खाता संख्या	<< अपलोड विकल्प >> + टिप्पणी बॉक्स << अनिवार्य फ़ील्ड >>
	(घ) मोबाइल	<<अनिवार्य >>
	(ङ) ई-मेल आईडी	<<अनिवार्य >>
	(च) एससीओ/बूथ/दुकान/बिल्डिंग/प्लैट/फ्लोर संख्या	<<अनिवार्य >>
	(छ) सेक्टर/क्षेत्र	<<अनिवार्य >>
	(ज) शहर/ नगर /गाँव	<<अनिवार्य>>
	(झ) जिला	<<ड्रॉप डाउन>><<अनिवार्य>>
	(ञ) पिन कोड	<<अनिवार्य>>
	(ट) राज्य	हरियाणा
	(ठ) आधिकारिक जिला	<<ड्रॉप डाउन>>
	(ड.) आधिकारिक वार्ड	<<ड्रॉप डाउन>>
2	(क) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम **	<<अनिवार्य>>
	(ख) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी	<<अनिवार्य>>
	(ग) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या	<<अनिवार्य>>
	(घ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी आईडी प्रमाण (पैन/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/पीपीपी या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड)	<< अपलोड विकल्प >> + टिप्पणी बॉक्स << अनिवार्य फ़ील्ड >>
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।	सुसंगत अधिनियम <<ड्रॉप डाउन>> (केवल एक ही विकल्प चुन सकते हैं) निर्धारण वर्ष<<ड्रॉप डाउन>> (केवल एक ही विकल्प चुन सकते हैं)
4	क्या बकाया देय निर्धारित या गैर-निर्धारित है?	निर्धारित ☐ गैर-निर्धारित ☐ <<यदि गैर-निर्धारित चुना है, तो ओटीएस -1, जनित नहीं होगा>>

5	क्या सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है?	हाँ ☐ यदि हां चुना गया है तो निम्नलिखित एकाधिक टिप्पणी बॉक्स खुल जाने चाहिए: 1. केस संख्या 2. प्राधिकरण के समक्ष लंबित 3. अपील/मुकदमा संख्या दायर करने की तिथि नहीं ☐ <<अनिवार्य क्षेत्र>>
6	क्या आवेदक के खिलाफ सुसंगत अधिनियम के अधीन इस वर्ष के लिए किसी भी कारण (कारणों) से आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है?	हाँ ☐ नहीं ☐ << यदि हां चयनित है, तो ओटीएस-1 जनित नहीं किया जा सकता >>
7	क्या सुसंगत अधिनियम के अधीन इस वर्ष के लिए मांग गलत रिफंड से संबंधित है?	हाँ ☐ नहीं ☐ << यदि हां चयनित है, तो ओटीएस-1 जनित नहीं किया जा सकता >>
8	क्या हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 या हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 में आवेदन किया है और आवेदन सुसंगत अधिनियम के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया है ?	हाँ ☐ नहीं ☐ <<यदि हां चयनित है, वित्तीय वर्ष का ड्रॉप डाउन और ओटीएस-1 संदर्भ संख्या व तिथि के लिए एकाधिक कमेंट बॉक्स खुलेगा।>> [आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा]
9	क्या घोषणा-संबद्ध छूट मांगी जा रही है	हाँ ☐ नहीं ☐ <<यदि हां चयनित है, ओटीएस-1 के साथ उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों की सूची जिन्हें अपलोड किया जाना है।>> <<अनिवार्य>> तालिका-V
10	केवल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन का विवरण हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को छोड़कर, अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन का विवरण	

तालिका-I

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधीन केवल निर्धारित बकाया देयों के बदले व्यवस्थापन राशि का निर्धारण

क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम का नाम <<स्वतः भरा हुआ>>	निर्धारण वर्ष <<स्वतः भरा हुआ>>	आदेश संख्या, जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किए गए थे <<अनिवार्य >>	आदेश की तिथि <<अनिवार्य >>	आदेश के अनुसार कुल निर्धारित बकाया देय (कर, ब्याज और शास्ति सहित)	खाना (6) से ब्याज की राशि (रूपये में)	खाना (6) से शास्ति की राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6क)	(6ख)
1							
2							

खाना (6) में से कुल निर्धारित बकाया कर देय [(6)-(6क)-(6ख)] (रु. में)	बकाया निर्धारित कर देय का स्लैब	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट की प्रतिशतता	खाना (9) के अनुसार स्कीम के अधीन कर की स्लैब बार कुल मानक छूट	स्कीम के अधीन भुगतान-योग्य व्यवस्थापन राशि (खाना (7)-(10))	खाना (6क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (6ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	कुल भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि [(11)+(12)+(13)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक	100%					
	(ii) रुपये 1 लाख से अधिक	70%					

तालिका- II

अनुसूची-1क के अनुसार, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को छोड़कर, अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन का विवरण

क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम का नाम <<स्वतः भरा हुआ>>	निर्धारण वर्ष <<स्वतः भरा हुआ>>	आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>>	आदेश की तिथि <<अनिवार्य>>	खाना संख्या (4) में उल्लिखित आदेश में शामिल कुल राशि (कर, ब्याज और शास्ति) <<अनिवार्य>>	दस्तावेजों/साविधिक प्ररूपों को जमा करने के आधार पर छूट का दावा (डीएलडब्ल्यू)	शुद्ध बकाया देय (खाना (6)-(7)) (कर, ब्याज और शास्ति)	खाना (8) से ब्याज की राशि (रुपये में)	खाना (8) से जुर्माने की राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8क)	(8ख)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

खाना संख्या (8) में शामिल कर की राशि <<अनिवार्य>> [शुद्ध कर मांग] [(8)-(8क)-(8ख)]	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट का प्रतिशतता (मानक छूट स्लैब के अनुसार लागू होगी)	स्कीम के अधीन खण्ड (8) के अनुसार कर की कुल स्लैब के अनुसार मानक छूट	स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि [खाना (9)-(खाना (11) का कुल योग)]	खाना (8क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (8ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	भुगतान योग्य शुद्ध राशि [(12)+(13)+(14)] <<अनिवार्य>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक - 100%					

	ii) 1 लाख से अधिक से 10 लाख तक – 60%					
	iii) 10 लाख से अधिक से 1 करोड़ तक– 50%					
	iv) 1 करोड़ से अधिक से 10 करोड़ तक– 40%					
	v) 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक – 35%					
	vi) 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक – 30%					
	v) 60 करोड़ रुपये से अधिक– 0%					
	योग					

11	तालिका-I के 10(14) या तालिका-II के 10(15) जैसा भी मामला हो, के अनुसार, कुल व्यवस्थापन राशि।	ऑटो पॉपुलेटेड, तालिका-I के कॉलम 10(14) में या तालिका-II के कॉलम 10(15) में कुल योग के कुल आंकड़े।					
12	तालिका-I के 10(14) या तालिका-II के 10(15) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार बकाया व्यवस्थापन राशि की श्रेणी	₹5 लाख तक, ₹5 लाख से ₹25 लाख तक, ₹25 लाख से अधिक <<स्वतः भरा हुआ>>					
13	क्या किस्त सुविधा का विकल्प चुना गया है	हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं ☐ (यदि क्रम संख्या 11 में व्यवस्थापन राशि ₹5 लाख तक है)					
14	किस्त अनुसूची						
	तालिका- III						
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि (तालिका I का 10(14) या तालिका II का 10(15), जैसा भी मामला हो)	ओटीएस-1 के साथ भुगतानयोग्य पहली किस्त की राशि (अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख तक है, तो पूरा भुगतान। अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है, तो 50% या अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो 40%)	दूसरी किस्त की राशि (50% यदि व्यवस्थापन राशि 5 लाख से 25 लाख के बीच है, या 30% यदि 25 लाख से अधिक है)	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि (व्यवस्थापन राशि का 30%, अगर यह 25 लाख से ज्यादा है)	तीसरी किस्त की तिथि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1						
15	किए गए भुगतान का विवरण						
	तालिका- IV						
	क्रम संख्या	जीआरएन का क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	1						
	2						

	☐ मैं सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।	कुल																																
16	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (क्रम संख्या 9 को छोड़कर)	1. स्थाई खाता संख्या 2. निर्धारण आदेश जिसके द्वारा देय निर्धारित किया गया था 3. लंबित अपीलों का प्रमाण, यदि कोई हो 4. भुगतान का प्रमाण 5. कोई अन्य दस्तावेज																																
17	तालिका- V खाना 9 के अनुपालन में ओटीएस-1 के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप का नाम</th><th>दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की संख्या</th><th>दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की तिथि</th><th>लेन-देन का मूल्य</th><th>शामिल कर/आईटीसी</th><th>क्या दस्तावेज भौतिक रूप से जमा किए गए हैं और मिलान किया गए हैं? (हाँ/नहीं)(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)</th><th>दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप के सत्यापन की तिथि और संदर्भ (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th><th>(8)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		क्रम संख्या	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप का नाम	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की संख्या	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की तिथि	लेन-देन का मूल्य	शामिल कर/आईटीसी	क्या दस्तावेज भौतिक रूप से जमा किए गए हैं और मिलान किया गए हैं? (हाँ/नहीं)(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप के सत्यापन की तिथि और संदर्भ (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																
क्रम संख्या	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप का नाम	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की संख्या	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप की तिथि	लेन-देन का मूल्य	शामिल कर/आईटीसी	क्या दस्तावेज भौतिक रूप से जमा किए गए हैं और मिलान किया गए हैं? (हाँ/नहीं)(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)	दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप के सत्यापन की तिथि और संदर्भ (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																											
18	घोषणा: मैं यहां यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और घोषणाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार हैं। इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा बकाया देयों की वसूली के लिए एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 को इसके नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझने के बाद चुना गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं, मुझ पर लागू होने वाली व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देनदारियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और किसी भी मामले में वापस नहीं किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: _____ <<स्वतः जनित>>(संपादन योग्य) दिनांक:<<स्वतः उत्पन्न>> टिप्पण:—सभी धनराशि रुपये में भुगतान की जाएगी।																																	

**

कारोबार की रचना	वह व्यक्ति जिसे ओटीएस दायर करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभाजित परिवार	कर्ता
निजी लिमिटेड कम्पनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक
सोसायटी/क्लब/ट्रस्ट/एओपी	प्रबंधक समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक
लिमिटेड देयता भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
सांविधिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
विदेशी लिमिटेड देयता भागीदारी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	प्रभारी व्यक्ति

प्ररूप ओटीएस-1क [देखिए खण्ड 8(7)]	
--------------------------------------	--

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के अधीन दूसरी किस्त की सूचना	
<<सिस्टम द्वारा जनित विशिष्ट संख्या और तिथि>>	

क्रम संख्या	विवरण					
1	(क)	आवेदक का नाम				
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया 'अपंजीकृत' उल्लेख करें)				
	(ग)	ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि				
	(घ)	ओटीएस-4क की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि				
	(ङ)	आधिकारिक जिला				
	(च)	आधिकारिक वार्ड				
2	(क)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम				
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी				
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या				
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।	सुसंगत अधिनियम<< ऑटो पॉपुलेटेड >> निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड>>				
4	प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 11 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि	<< ऑटो पॉपुलेटेड >>				
5.	प्ररूप ओटीएस-4क के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि					
6	किस्त अनुसूची <<प्ररूप ओटीएस-4क से ऑटो पॉपुलेटेड>>					
क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि (तालिका-I का 10(14) अथवा तालिका-II का 10(15), जैसा भी मामला हो के बराबर) (ओटीएस-4क)	ओटीएस-1 के साथ जमा की गई पहली किस्त की राशि (अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख तक है, तो पूरा पेमेंट। अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है, तो 50% या अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो 40%)	दूसरी किस्त की राशि (50% यदि व्यवस्थापन राशि 5 लाख से 25 लाख के बीच है, या 30% यदि 25 लाख से अधिक है)	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि (सेटलमेंट राशि का 30%, अगर यह 25 लाख से ज्यादा है)	तीसरी किस्त की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

7	उपरोक्त 6(4) के अनुसार भुगतान की जाने वाली किस्त की राशि।					
8	किस्त के विलंबित भुगतान पर अटारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, यदि कोई हो					
9	किए गए भुगतान का विवरण.					
	क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1					
	2					
	☐ मैं सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।				कुल	
10	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज				1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज	
11	घोषणा: मैं यहां यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और घोषणाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार हैं। इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एक बारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 को इसके नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझने के बाद चुना गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं मुझ पर लागू होने वाली व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देनदारियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और किसी भी मामले में वापस नहीं किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: _____ <<स्वतः जनित>> (संपादन योग्य) दिनांक:<<स्वतः जनित>> नोट:—सभी धनराशि रुपये में भुगतान की जाएगी।					

प्ररूप ओटीएस-1ख [देखिए खण्ड 8(7)]							
हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के अधीन दूसरी किस्त की सूचना <<सिस्टम द्वारा जनित विशिष्ट संख्या और तिथि>>							
क्रम संख्या	विवरण						
1	(क)	आवेदक का नाम	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया 'अपंजीकृत' उल्लेख करें)	<< ऑटो पॉपुलेटेड>> i. अपंजीकृत ii. वेट-पूर्व अवधि में पंजीकृत iii. वेट अवधि में पंजीकृत				
	(ग)	ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि	इनपुट बॉक्स<<स्वचालित>>				
	(घ)	ओटीएस-1क की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि	इनपुट बॉक्स<<स्वचालित>>				
	(ड)	ओटीएस-4क की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि	इनपुट बॉक्स<<स्वचालित>>				
	(च)	आधिकारिक जिला	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
	(छ)	आधिकारिक वार्ड	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
2	(क)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>				
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।		सुसंगत अधिनियम << ऑटो पॉपुलेटेड >> निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड>>				
4	प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 11 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि		<<ऑटो पॉपुलेटेड >>				
5.	प्ररूप ओटीएस-4क के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि						
6	किस्त अनुसूची <<प्ररूप ओटीएस-4क ऑटो पॉपुलेटेड >>						
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि (तालिका I का 10(14) अथवा तालिका II का 10(15), जैसा भी मामला हो के बराबर) (ओटीएस-4क)	ओटीएस-1 के साथ जमा की गई पहली किस्त की राशि (अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख तक है, तो पूरा पेमेंट। अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है, तो 50% या अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो 40%)	दूसरी किस्त की राशि (50% यदि व्यवस्थापन राशि 5 लाख से 25 लाख के बीच है, या 30% यदि 25 लाख से अधिक है)	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि (सेटलमेंट रकम का 30%, अगर यह 25 लाख से ज्यादा है)	तीसरी किस्त की तिथि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1						
7	उपरोक्त 6(6) के अनुसार भुगतान की जाने वाली किस्त की राशि।						

8	किस्त के विलंबित भुगतान पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, यदि कोई हो																																		
9	किए गए भुगतान का विवरण. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>जीआरएन की क्रम संख्या</th> <th>जीआरएन की तिथि</th> <th>सीआईएन की क्रम संख्या</th> <th>सीआईएन की तिथि</th> <th>राशि (रुपये में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> ☐ मैं सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। </td> <td>कुल</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1						2						☐ मैं सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।				कुल	
क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																														
1																																			
2																																			
☐ मैं सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।				कुल																															
10	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज			1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज																															
11	घोषणा: मैं यहां यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और घोषणाएं मेरी जानकारी के अनुसार तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री/दस्तावेजों के अनुसार सत्य और सही हैं। इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एक बारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 को इसके नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझने के बाद चुना गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं मुझ पर लागू होने वाली व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देनदारियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और किसी भी मामले में वापस नहीं किया जाएगा। (आवेदक का नाम) स्थान: _____ <<स्वतः जनित>> (संपादन योग्य) दिनांक: <<स्वतः उत्पन्न>> नोट:—सभी धनराशि रुपये में दी जाएगी।																																		

प्ररूप ओटीएस-2**[देखिए खण्ड 7(ii) और खण्ड 8(12)]****ओटीएस-1 में आवेदन की पावती****डीएलडब्ल्यू के साथ/बिना आवेदन**

इसके द्वारा, मैसर्स _____ से संबंधित, निर्धारण वर्ष _____ के लिए हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के अधीन _____ (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या _____ तिथि _____ स्वीकार किया जाता है।

नोट:- जिन आवेदनों में डीएलडब्ल्यू का दावा शामिल है, उनके लिए भौतिक रूप से प्राप्त दस्तावेजों/ सांविधिक प्रारूपों की एक अलग पावती जारी की जाएगी।

आबकारी तथा कराधान विभाग
हरियाणा सरकार।

“यह एक सिस्टम जनित पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है”

प्ररूप ओटीएस-2क**[देखिए खण्ड 7(ii) और खण्ड 9(1)]****ओटीएस-1 में आवेदन की पावती****डीएलडब्ल्यू के साथ आवेदन**

इसके द्वारा, मैसर्स _____ से संबंधित, निर्धारण वर्ष _____ के लिए हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के अधीन _____ (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या _____ तिथि _____ को पावती किया गया।

☐ डीएलडब्ल्यू दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज/सांविधिक प्ररूप, ओटीएस आवेदन की तालिका-V में उल्लिखित दस्तावेजों से मिलाए गए हैं और सही पाए गए हैं। इन दस्तावेजों को पावती किया जाता है।

☐ डीएलडब्ल्यू दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज/ सांविधिक प्ररूप, ओटीएस आवेदन की तालिका-V में उल्लिखित दस्तावेजों से मिलाए गए हैं; इस पत्राचार के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को ही पावती किया जाता है।

नोट:- भौतिक रूप से प्राप्त दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची इस पावती के साथ संलग्न की जाएगी।

आबकारी तथा कराधान विभाग
हरियाणा सरकार।

“यह एक सिस्टम जनित पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है”
ओटीएस-1 में उल्लिखित डीएलडब्ल्यू दावे के जवाब में भौतिक रूप से प्राप्त दस्तावेजों की सूची

क्रम संख्या	दस्तावेज/सांविधिक परूप का नाम	दस्तावेज / सांविधिक परूप का नंबर	दस्तावेज / सांविधिक परूप की तिथि	लेन-देन का मूल्य	शामिल कर/आईटीसी	क्या दस्तावेज भौतिक रूप से जमा किए गए हैं और मिलान किया गए हैं? (हाँ/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<<ऑटो पॉपुलेटेड>>	<<ऑटो पॉपुलेटेड >>	<<ऑटो पॉपुलेटेड >>	<<ऑटो पॉपुलेटेड >>	<<ऑटो पॉपुलेटेड >>	आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है।

प्ररूप ओटीएस-3
[देखिए खण्ड 7(v) और खण्ड 9(4)]
विसंगतियों का नोटिस

सेवा में

आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>
आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड>>
टिन/आरसी नंबर (यदि लागू हो) << ऑटो पॉपुलेटेड>>
ओटीएस-3 संदर्भ संख्या <<सिस्टम जनित>> तिथि <<सिस्टम जनित>>

विषय:— विसंगतियों का नोटिस।

संदर्भ:— प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के अधीन आवेदन किया है। आपके आवेदन के प्ररूप ओटीएस-1 की जांच करने पर, निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:

- (i)
- (ii)
- (iii)

<<अपलोड विकल्प>>

इस सूचना पर आपका उत्तर इस सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान के प्रमाण (यदि कोई हो) सहित प्ररूप ओटीएस-3क में अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए। इस सूचना की शर्तों का पालन करने में विफलता की दशा में, आपका आवेदन आगे कोई सूचना दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा और स्कीम के अधीन किया गया भुगतान सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____

प्ररूप ओटीएस – 3क

[देखिए खण्ड 7(v) और खण्ड 9(4), (5) व (6)]

विसंगतियों के नोटिस का उत्तर

सेवा में,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी

जिला <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

वार्ड <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो) <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

विषय:- प्ररूप ओटीएस-3 में विसंगतियों के नोटिस का उत्तर।

संदर्भ:- प्ररूप ओटीएस-3 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

यह प्ररूप ओटीएस-3 में आपके कार्यालय से जारी विसंगतियों का नोटिस संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>> के संदर्भ में है। बताई गई कमियों का बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार है:

(क)

(ख)

(ग)

ओटीएस-3क के साथ किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
जोड़					
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज				1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज	

(आवेदक का नाम)

स्थान: _____

<< स्व – जनित>>(संपादन योग्य)

तिथि: <<स्व – जनित>>

टिप्पण:- सभी राशियां रूपए में भुगतान की जाएं।

प्ररूप ओटीएस-4

[देखिए खण्ड 9(3) व (5)]
व्यवस्थापन का अंतिम आदेश

सेवा मे,

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथि<<सिस्टम जनित>>

विषय:- व्यवस्थापन का अंतिम आदेश।

संदर्भ:- प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की विस्तार से जांच की गई है, तदनुसार व्यवस्थापन का अंतिम आदेश निम्नानुसार पारित किया गया है:

सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

तालिका - I

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रूपए)
1.	प्ररूप ओटीएस-1 / ओटीएस-4क के अनुसार भुगतान योग्य व्यवस्थापन राशि	
	क) ब्याज की राशि यदि ओटीएस-1क के साथ भुगतान की गई है।	
	ख) ब्याज की राशि यदि ओटीएस-1ख के साथ भुगतान की गई है।	
	योग	
2.	घटा: -	
	क. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1 में भुगतान की गई राशि (प्रथम किस्त)	
	ख. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1क में भुगतान की गई राशि की सूचना (दूसरी किस्त)	
	ग. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस-1ख में भुगतान की गई राशि की सूचना (तीसरी किस्त)	
3.	शेष (योग 1 – योग 2)	<<यह शून्य होना चाहिए>>

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, वापस ले ली गई है और ऐसी अपील वापस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस-6 में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी क्रम संख्या

<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>> अंकित है।

आपके आवेदन, किए गए भुगतान और विचाराधीन सभी अन्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत, मुझे पता चला है कि आपके निम्नलिखित निर्धारित बकाया देय का, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 के माध्यम से व्यवस्थापन किया गया है।

तालिका-II

क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम	निर्धारण वर्ष	व्यवस्थापन राशि	बकाया राशि का व्यवस्थापन			
क.	ख.	ग.	घ.	ड.			
				कर	ब्याज	जुर्माना	योग
1.							
2.							
योग							

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____।

प्ररूप ओटीएस-4क

[देखिए खण्ड 8(7) और खण्ड 9(5), (8) व (9)]
अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश

सेवा में,

आवेदक का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो)<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथि<<सिस्टम जनित>>

विषय:- व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश।

संदर्भ:- प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 का विकल्प चुना है। जांच करने पर, आपका आवेदन सही पाया गया है। तदनुसार, अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश निम्नानुसार पारित किया जाता है:

सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

निर्धारण वर्ष <<ऑटो पॉपुलेटेड/संपादन योग्य>>

तालिका-I

केवल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधीन निर्धारित बकाया राशियों के बदले व्यवस्थापन राशि के निर्धारण

क्रम संख्या	संबंधित अधिनियम का नाम <<स्वतः भरा हुआ>>	निर्धारण वर्ष <<स्वतः भरा हुआ>>	आदेश संख्या, जिसके द्वारा बकाया राशि निर्धारित की गई थी << अनिवार्य >>	आदेश की तिथि <<अनिवार्य >>	आदेश के अनुसार कुल निर्धारित बकाया राशि (कर, ब्याज और जुर्माना सहित)	खाना (6) में ब्याज की राशि (रूपये में)	खाना (6) में जुर्माने की राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6क)	(6ख)
1							
2							

खाना (6) में से कुल निर्धारित बकाया कर [(6)-(6क) - (6ख)] (रु. में)	बकाया कर की निर्धारित राशि का स्लैब	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट की प्रतिशतता	खाना (9) के अनुसार स्कीम के अधीन कर की कुल मानक छूट	स्कीम के अधीन देय व्यवस्थापन राशि (खाना (7)-(10))	खाना (6क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (6ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	कुल देय व्यवस्थापन राशि [(11)+(12)+ (13)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक	100%					
	(ii) रुपये 1 लाख से अधिक	70%					

तालिका-II

अनुसूची-1क के अनुसार, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को छोड़कर, अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन बकाया राशियों के व्यवस्थापन का विवरण

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम <<स्वतः भरा हुआ>>	निर्धारण वर्ष <<स्वतः भरा हुआ>>	आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>>	आदेश की तिथि <<अनिवार्य>>	खाना संख्या (4) में उल्लिखित आदेश में शामिल कुल राशि (कर, ब्याज और जुर्माना) <<अनिवार्य>>	दस्तावेजों / सांविधिक प्ररूपों को जमा करने के आधार पर छूट का दावा (डीएलडब्ल्यू)	शुद्ध बकाया देय (खाना (6)-(7)) (कर, ब्याज और जुर्माना)	खाना (8) में ब्याज की राशि (रूपये में)	खाना (8) में जुर्माने की राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8क)	(8ख)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

खाना संख्या (8) में शामिल कर की राशि <<अनिवार्य>> (शुद्ध कर मांग) [(8)-(8क)-(8ख)]	स्कीम के स्लैब के अनुसार मानक छूट को प्रतिशतता (मानक छूट स्लैब के अनुसार लागू होगी)	स्कीम के अधीन खण्ड (8) के अनुसार कर की कुल स्लैब के अनुसार छूट	स्कीम के अधीन देय व्यवस्थापन राशि [खाना (9) - (खाना (11) का कुल योग)]	खाना (8क) में दर्शाई गई ब्याज की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	खाना (8ख) में दर्शाई गई शास्ति की व्यवस्थापन राशि (अर्थात् 0%)	भुगतान योग्य शुद्ध राशि (12)+(13)+(14) <<अनिवार्य>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक - 100%					
	ii) 1 लाख से अधिक से 10 लाख तक - 60%					
	iii) 10 लाख से अधिक से 1 करोड़ तक - 50%					
	iv) 1 करोड़ से अधिक से 10 करोड़ तक - 40%					
	v) 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक - 35%					
	vi) 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक - 30%					
	vii) 60 करोड़ रुपये से अधिक - 0%					

	योग					
--	-----	--	--	--	--	--

तालिका-III

क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि (तालिका I का 10(14) अथवा तालिका II का 10(15) के बराबर, जैसा भी मामला हो)	ओटीएस-1 के साथ जमा की गई पहली किस्त की राशि (अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख तक है, तो पूरा पेमेंट। अगर व्यवस्थापन राशि 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है, तो 50% या अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो 40%)	दूसरी किस्त की राशि (50% यदि व्यवस्थापन राशि 5 लाख से 25 लाख के बीच है, या 30% यदि 25 लाख से अधिक है)	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि (सेटलमेंट राशि का 30%, अगर यह 25 लाख से ज्यादा है)	तीसरी किस्त की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

तालिका-IV

क्रम संख्या I	विवरण	राशि (रुपए)
(i)	तालिका-III के अनुसार भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि (तालिका-III का खाना 2)	
(ii)	कमी: आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि (तालिका-III का खाना 3)	
(iii)	शेष (1-2)	

यह एक अनंतिम आदेश है तथा व्यवस्थापन राशि का पूर्ण भुगतान करने और प्ररूप ओटीएस-6 में लंबित अपीलों को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने, यदि लागू हो, के पश्चात् प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____ ।

प्ररूप ओटीएस-5

[देखिए खण्ड 8(9) और खण्ड 9(3), (5), (6) व (8)]
रद्दकरण का आदेश

सेवा में,

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी संख्या (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>>तिथि<<सिस्टम जनित>>

विषय: - रद्दकरण का आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस-3 संख्याए यदि लागू हो<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

निर्धारण वर्ष <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2026 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की जांच की गई और उसे सही नहीं पाया गया और प्ररूप ओटीएस-1 में आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दर्ज किए गए हैं:-

(क)

(ख)

(ग)

<< अपलोड विकल्प>>

आगे, यह सूचित किया जाता है कि स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी

जिला _____

वार्ड _____ ।

प्ररूप ओटीएस 6

[देखिए खण्ड 9(7) व (8)]

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेने के संबंध में सूचना

<<सिस्टम जनित संदर्भ संख्या>>

सेवा मे,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

वार्ड <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो) <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

विषय: - सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेना ।

संदर्भ — प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस-1 में मेरी घोषणा और प्ररूप ओटीएस-4क में आपके आदेश <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>> के अनुपालन में, मैंने (आवेदक का नाम) <<ऑटो पॉपुलेटेड>> अपनी सुसंगत अधिनियम <<ऑटो पॉपुलेटेड>> के अधीन लंबित सभी अपीलों को वापिस ले लिया है जैसा कि निम्न तालिका में उल्लेखित है। ऐसी वापसी का प्रमाण इसके साथ संलग्न है।

क्रम संख्या	निर्धारण वर्ष	के समक्ष लंबित (प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें)

<<एकाधिक अपलोड विकल्प>>

मैं समझता हूँ कि प्ररूप ओटीएस-4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा वापसी के ऐसे प्रमाण को स्वीकार करने पर ही पारित किया जाएगा।

(आवेदक का नाम)

स्थान: _____

<< स्व — जनित >> (संपादन योग्य)

तिथि: <<स्व — जनित>>

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 2026

No.07/ST-1.— Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017), therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 of the said Act, the Governor of Haryana hereby notifies the following scheme for recovery of quantified outstanding dues for the period as specified in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:-

Short title and commencement.	1. (1) This scheme may be called the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026. (2) It shall come into force with effect from the 1st June, 2026.
Definitions.	2. (1) For the purposes of this Scheme, unless the context otherwise requires,- (a) “applicant” means any assessee or any person who is liable to pay any quantified outstanding dues under the relevant Acts, whether registered or not, and who desires to avail the benefit by applying under the Scheme; (b) “appointed day” means the date on which the provisions of this Scheme shall come into force; (c) “Declaration Linked Waiver” hereinafter referred to as DLW means the amount of waiver admissible to an applicant under this Scheme which shall be equal to the amount of concession/ deduction that would arise under the provisions of the relevant Act from submission of such statutory declarations Forms (VAT D1, VAT D2, Tax Invoice/ C4, C Form, H Form, F Forms, E-1 and E-2) as are furnished by the applicant along with his application under the Scheme and are found to be genuine. Declaration Linked Waiver (hereinafter ‘DLW’) wherever applicable, shall be available only to the outstanding dues under any one or more of the following Acts, namely:- (i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), (ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), (d) “jurisdictional authority” means the appropriate assessing authority under whose jurisdiction the particular applicant falls; (e) “net tax demand” means the balance amount of tax after availing Declaration Linked Waiver from the Tax Demand. Net tax demand shall be Tax Demand in cases where Declaration Linked Waiver is not applicable. (f) “quantified outstanding dues” means any tax, interest, penalty or any other dues quantified under any of the relevant Acts, unpaid by a person for any period upto the 30th June, 2017; (g) “relevant Act” means any of the Act as mentioned in clause 4 of the Scheme; (h) “settlement amount” means the amount to be paid under the Scheme by the applicant for the settlement of his quantified outstanding dues; (i) “Standard waiver” is the waiver applicable to all applicants as per the Schedules-I or IA, as the case may be, appended to the Scheme. (2) Words and expressions used in this Scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the relevant Act.
Scope of Scheme.	3. (1) The Scheme provides for expeditious recovery of quantified outstanding dues under the relevant Act(s), by way of depositing the settlement amount calculated in accordance with the provisions of the Scheme after availing the waivers as are provided in the Scheme in lieu of the quantified outstanding dues following the procedure as laid down in the Scheme and subject to the terms and conditions mentioned therein the Scheme.

(2) The quantified outstanding dues shall be settled only on application to be made in Form OTS-1 subject to the terms and conditions of the Scheme. (3) For the assessee whose quantified outstanding tax dues are upto Rs.1(One) Lakh in particular assessment year under any of the relevant Acts, the entire due amount including interest and penalty for that particular assessment year is waived off under the scheme and he need not apply under the Scheme to avail this benefit with respect to that assessment year under the relevant Act. (4) The Demand Disposal Register in Form G-3 as prescribed under rule 28(6) and 29(7) of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 shall be the conclusive proof of quantified outstanding dues only in the cases where no other record of assessment is available.	
4. (1) The Scheme shall be applicable to the following Acts, namely :- (i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003); (ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956); (iii) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (23 of 2007); (iv) The Haryana Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955); (v) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973); (vi) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000); (vii) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (8 of 2008). (2) An applicant may opt for the Scheme under any one or more of the relevant Act(s) within one hundred and twenty days from the appointed day. However, a separate application has to be filed for each of the relevant Act in case an applicant opts to apply for more than one of the relevant Acts. The quantified outstanding dues under the opted relevant Act shall be settled assessment year wise. The applicant may opt for one or more assessment year(s) of his own choice for settlement of his quantified outstanding dues and in such case, a separate application has to be filed for each of the years under that relevant Act. (3) Any amount required to be paid under the Scheme shall be deposited under the Treasury Head of the relevant Act for which the Scheme is being opted for. (4) An applicant shall submit a declaration along with his application in Form OTS-1 to the effect that the information furnished by him in the application Form and in other Forms under the Scheme are true and correct to the best of his knowledge and the material/documents on record and no part of it is false and nothing has been concealed therein.	Relevant Acts
5. The adjustment of prior payments in respect of the outstanding dues originally quantified by an assessment or rectification or reassessment or revised order, towards computing the outstanding dues shall be as under:- (i) where purpose/category of the deposit made by an applicant before the appointed day of the Scheme, with regard to tax, interest or penalty is specified in the deposit application/treasury challan/receipt etc. issued by the department, the same has to be treated accordingly as specified. (ii) where a deposit made by an applicant before the appointed day of the scheme for a relevant assessment year under a relevant Act, without specifying the purpose/category of the deposit with reference to tax, interest or penalty in his application for deposit/treasury challan/receipt etc. issued by the department, shall be firstly considered as deposit for tax component and, if any balance amount remains, it shall be thereafter adjusted towards interest and then penalty for the relevant assessment year under the relevant Act. (iii) a deposit for a particular year under a relevant Act shall be adjusted in that particular year only under that relevant Act out of quantified outstanding tax amount or the outstanding interest amount or the outstanding penalty amount. Further, no refund shall accrue to the applicant under the Scheme with regard to any excess payment made before the appointed day exceeding the tax component for the relevant assessment year under the relevant Act.	Preconditions for determination of quantified outstanding dues.

	(iv) any amount that was deposited by an applicant before the appointed day shall be adjusted only towards his liabilities of the assessment year for which it was deposited. It shall be adjusted only if the year for which it was deposited is specifically mentioned in the treasury challan/ receipts. No benefit of any deposit shall be given if the year for which it was deposited is not specifically mentioned in the treasury challan/ receipts. (v) where the total tax amount has been deposited by the applicant for the relevant assessment year under the relevant Act, before the appointed day, the applicant shall be eligible under the Scheme and the settlement amount under the Scheme in lieu of interest or penalty shall become "NIL" for the relevant assessment year under the relevant Act. (vi) No refund shall accrue to the applicant on account of previous payments and operation of the waivers under the scheme or under any other circumstances. No excess amount, if so accrues, in one assessment year, under any circumstances, shall be carried forward to any other year or shall be adjusted towards any other liability of the assessee for any period under the relevant Act. (vii) where any amount is deposited for settlement amount on/after the appointed day of the scheme till the date of submission of application Form OTS-1 under this scheme shall be counted towards the settlement amount of his quantified outstanding dues.
Registration of applicant.	6. Any person liable to pay any quantified outstanding dues under a relevant Act and is desirous of availing the benefits of the Scheme shall get himself registered on the portal of the Excise and Taxation Department, Haryana on the basis of his e-mail id, mobile number and other details. On successful registration, an ID and one time password shall be generated and communicated to the applicant on his mobile number and e-mail address. The applicant shall submit all his application(s) (OTS-1) electronically on the portal of the Department duly signed and verified through electronic verification code for settlement of his outstanding dues using the id as mentioned above.
Declaration Linked Waiver.	7. (i) Declaration Linked Waiver shall be available only to the persons who have quantified outstanding dues under the relevant Act and where tax demand part of the quantified outstanding dues, fully or partly, arises from non-submission of statutory forms. (ii) An applicant seeking Declaration Linked Waiver shall have to furnish summary details of statutory prescribed, with his application. A list of the statutory forms/ documents being submitted shall be furnished by the applicant in the format/table contained in the Form OTS-1. The applicant shall self-assess his net tax demand by reducing declaration linked waiver from his tax demand. The applicant seeking declaration linked waiver shall also be entitled to standard waivers in accordance with Schedule 1A. The applicant, after having self-assessed his net tax demand, shall proceed to complete his application in OTS-1 and submit the same on the portal. The system generated acknowledgment in OTS-2 shall be issued for submission of OTS application. Thereafter, the applicant shall have to furnish the statutory forms/ Vdocuments physically in the office of the jurisdictional authority within seven days of online submitting of application OTS-1. The physical statutory forms submitted by the applicant shall be tallied with the list furnished in the OTS-1. A system generated acknowledgment of documents/forms received shall be generated in Form OTS-2A. (iii) Declaration Linked Waiver shall be applicable only for statutory forms namely;- VAT D1, VAT D2, Tax Invoice/ C4, C Form, H Form, F Forms, E-1 and E-2. The waiver shall be granted only in respect of the statutory forms/documents which are found to be genuine upon verification. However, no such waiver shall be allowed or granted in respect of such statutory form/document which have been rejected by the jurisdictional authority after verification while passing the order which had created the outstanding dues (Original order of assessment, rectification, reassessment or revision order). However, the waiver shall not be given to such forms which have been declared bogus/fake or where criminal proceedings have been instituted against such firms.

(iv) The process of verification shall commence within fifteen days of the receipt of statutory forms/documents in the appropriate jurisdictional ward. The verification of the statutory forms/documents submitted by the applicant shall be completed within three months from the closure of the Scheme or such time as may be extended by the Excise and Taxation Commissioner. (v) No benefit of DLW shall be admissible for such statutory forms/documents which could not be verified in the prescribed time. However, the applicant shall be eligible to avail other benefits under the Scheme. The applicant shall be issued a notice in Form OTS-3 within the time period as provided under Clause (iv) above about the deficient amount of settlement arising from rejection of statutory forms/documents. The applicant shall have to deposit this amount to make up the deficiency in settlement amount in lump sum with his reply in Form OTS-3A within a period of fifteen (15) days of the receipt of notice in Form OTS-3. (vi) Where the application seeking the benefit of DLW is not found to be in order to the satisfaction of the authority or deficiency has not been removed within the prescribed time or the deficient amount has not been deposited within the prescribed time, a rejection order in Form OTS-5 shall be passed. The application shall be rejected ab initio. No benefit of the statutory forms/documents submitted shall be granted to the applicant and it shall be presumed as if no application was ever made. The outstanding dues shall be the same as were before filing of the application. The amount deposited as settlement amount shall be adjusted towards the outstanding dues. No refund shall be granted. Proceedings for recovery of the outstanding dues shall be continued under the relevant Act.	
8. (1) The applicant shall have to pay, by way of settlement, an amount in lieu of this quantified outstanding dues, in accordance with Schedule-I or IA. Explanation.— An applicant shall be entitled to waivers separately for each of the slab of waiver under Schedule-I or Schedule-IA, as may be applicable. The slabs shall include the highest slab depending upon an applicant's tax demand and all slabs preceding it. (2) The applicants who are not seeking the benefit of DLW or are not entitled to, shall also fill up OTS-1 and claim waiver in accordance with Schedule-I or Schedule-IA, as the case may be, on their tax demand. (3) The amount of interest and penalty levied under any section of the relevant Act shall be waived off for the year under the relevant Act for which the applicant has applied for and only when the application is found in order for settlement. Explanation.— The interest leviable under any section of the relevant Act on the quantified outstanding dues shall also be included in the interest mentioned under this clause. (4) All the applicants, irrespective of whether they are seeking DLW or not, shall be entitled to standard waiver as per Schedule-I or IA, as the case may be, appended to the Scheme depending upon their net tax demand. (5) OTS-1 shall be completed only after payment of due amount of settlement. The applicant shall have to furnish proof of payment of the amount of settlement, or first installment of the amount of settlement, as the case may be, along with his application in Form OTS-1. (6) The applicant may opt to make payment for settlement of his outstanding dues in lump sum or in instalments as per the option available in Schedule-II (7) An applicant shall make the payment for the second instalment within sixty days from the date of provisional order of settlement alongwith information in Form OTS-1A and thereafter, the 3rd instalment within a period of one hundred twenty days from the date of provisional settlement order OTS-4A alongwith information in Form OTS-1B. (8) An applicant may make the payment for the second instalment by the last date of the third instalment on payment of additional interest of eighteen percent per annum for the period of delay.	Settlement of quantified outstanding dues and application procedure.

	(9) If payment is not made within the period specified in Schedule-II or such period as provided in sub-clause (8) above, the provisional order of acceptance shall be deemed to be withdrawn and it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant and the jurisdictional authority shall issue the order of rejection in FORM OTS-5 accordingly. (10) An applicant who has quantified outstanding dues under the relevant Act as on the date of submitting application OTS-1 under this Scheme, whether or not in appeal before the appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, may opt to apply under the Scheme for settlement of his quantified outstanding dues: Provided that he shall withdraw such an appeal fully and unconditionally within a period of sixty days of communication of provisional order of settlement in Form OTS-4A. (11) An applicant willing to avail any benefit has to apply under the Scheme except the assessee mentioned in sub-clause 3 of clause 3 in the scheme. (12) On successful online submission of application in FORM OTS-1, a system generated acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM OTS-2, except in the DLW related cases. In DLW related cases, the acknowledgment shall be generated as per clause 7(ii) of the scheme. (13) No refund of the settlement amount paid at any stage under the Scheme shall be allowed under any circumstances. It shall be adjusted out of the quantified outstanding dues against the applicant.
Verification of form and processing of application OTS-1 and DLW.	9. The procedure for processing of applications shall be in the following manner, namely:- (1) The jurisdictional authority shall first check the application in Form OTS-1 with regard to its appropriate allocation of jurisdiction ward within a period of ten days from acknowledgment. In such cases where the application does not pertain to his ward, it shall be referred to the Deputy Excise and Taxation Commissioner for appropriate allocation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner shall allocate correct ward to such application received by him within a period of ten days from the receipt of the request. The statutory forms/ documents shall be accepted physically by the jurisdictional authority (ward) to which the application is allotted by the system. A system generated acknowledgment in Form OTS-2A shall be granted by this jurisdictional authority (ward) on receipt of physical statutory forms/ declarations. In case where such application doesn't pertain to appropriate jurisdictional authority, the process of allocation of the application to the appropriate authority, as mentioned above, shall be initiated subsequently. (2) The jurisdictional authority shall examine and verify the application in Form OTS-1 with regard to its propriety, correctness, computation of quantified outstanding dues and the corresponding settlement amount and legality in accordance with the provisions of the Scheme and relevant Act. In such cases where no DLW is involved, the process of examination and verification of application Form OTS-1 shall be completed within a period of thirty days from the issuance of acknowledgment or allocation of correct ward. In such cases where DLW is involved, the process of verification of application OTS-1 and statutory forms declarations shall be completed within the time period prescribed under Clause 7(iv). (3) In all such cases where consequent upon the process of examination and verification, the claim of the applicant is found to be in order with regard to its self-assessed settlement amount in view of the quantified outstanding dues and the provisions of the Scheme, proof of payment thereof and all other relevant particulars, the jurisdictional authority shall issue a settlement order either in Form OTS-4 or issue an order of provisional settlement in Form OTS-4A where the applicant has opted for instalment or is required to submit proof of withdrawal of appeal. (4) In all such cases where consequent upon the process of examination and verification, any deficiency/discrepancy is noticed including non-verification or rejection of statutory forms/ declarations on any ground in the application OTS-1, a deficiency notice in the Form OTS-3 shall be issued to the applicant, within a time period as prescribed under Clause 9(2) or 7(iv), as the case may be, of verification and examination, calling upon him to remove the deficiency/discrepancy including any deficient amount of settlement, if any, and reply to the notice in Form OTS-3A within fifteen days of the issuance of this notice.

(5) If the applicant removes the deficiency/discrepancy including making payment of deficient amount of settlement, if any, consequent upon the issuance of deficiency notice within the prescribed time to the satisfaction of the jurisdictional authority, an order of settlement in Form OTS-4 or order of provisional settlement in Form OTS-4A, as the case may be, shall be passed by him in fifteen days from the receipt of reply in Form OTS-3A. (6) Where the applicant fails to comply with the terms of the notice by way of furnishing a reply in OTS-3A to the said notice or to remove the deficiency/discrepancy or make payment of deficient amount of settlement, the application shall be rejected for the reasons to be recorded in writing and an order in the Form OTS-5 shall be passed within fifteen days from receipt of the reply in Form OTS-3A. (7) In such cases where an applicant is in appeal against the outstanding dues for which he intends to avail the Scheme, he shall withdraw all the appeals related to the case pending before the First Appellate Authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, fully and un-conditionally. He will be required to submit proof of such withdrawal of appeal in FORM OTS-6 within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A to the jurisdictional authority. The order of withdrawal shall be the conclusive proof in this respect. (8) In case FORM OTS-6 is not furnished within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A, it shall be presumed as if the application was never made. The order of rejection of settlement in Form OTS-5 shall be passed and pending proceedings under the applicable relevant Act shall continue against the applicant. (9) Any proceeding pending before any appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act shall be kept in abeyance till the provisional order of settlement in Form OTS-4A is passed under this scheme, for those applicants who have opted for this scheme. (10) If the applicant has furnished information by suppressing facts or by providing false information, concealing facts related to quantified outstanding dues for which application has been made, the statutory forms/documents submitted in DLW, later on at any stage, are not found genuine, the amount claimed to have been deposited is found to be unpaid or re-utilized, the settlement order in OTS-4 or the provisional settlement order in OTS-4A shall be revoked and a rejection order in Form OTS-5 shall be passed by the jurisdictional authority. (11) Where order of rejection of settlement in Form OTS-5 is issued, the amount paid under this scheme, if any, by the applicant shall be adjusted against his liabilities under the relevant Act and such amount shall not be refunded in any case. (12) For applications seeking DLW, the jurisdictional authority shall examine the claims of the applicant made at Sr. No.9 of OTS-1. The process of examination shall be carried out in accordance with the provisions of relevant law and instructions issued. The verification of the statutory forms/documents submitted shall be completed in accordance with the time limitation provided in clause 7(iv) of the scheme. After having verified statutory forms/ declarations and computed DLW in accordance with the Scheme, the rest of the application shall be examined like other cases where DLW is not involved. (13) All the applications under the Scheme shall be processed electronically.	
10. (1) The applicants whose outstanding dues have been uploaded by the jurisdictional authority in Form GST DRC-07A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of such dues under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall also be eligible to take the benefit of the scheme. (2) The jurisdictional authority shall after successful issuance of Form OTS-4 modify the demand created through Form GST DRC-07A and issue Form GST DRC-08A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.	Provisions under Rule 142(A) of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of quantified outstanding dues of existing law
11. (1) The final order of settlement passed under this Scheme with respect to the amount payable under this Scheme shall be conclusive as to the matter and time stated therein and the applicant shall not be liable, - (a) to pay any further tax, interest or penalty with respect to the matter and time period covered in the final order of settlement;	Privileges emanating from the final order of settlement

	(b) to be prosecuted under the relevant Act with respect to the matter and time period covered in the order; (2) All the matters and time period covered by such order shall not be re-opened in any other proceedings under the relevant Act: Provided that in case where any material particular furnished in the application is subsequently found to be false, it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.
No refund of amount already paid before the appointed day as tax, interest or penalty.	12. Any amount of tax, interest or penalty or any other sum paid/deposited before the appointed day shall not be refunded and shall not be adjusted out of the settlement amount under the Scheme.
Restrictions with regard to settlement.	13. Any amount payable under this scheme shall neither be paid through Input tax nor shall be allowed to be claimed as Input tax by any person under the relevant Act or any other Act.
Rectification of errors.	14. The jurisdictional authority who has passed the settlement order under the Scheme, may rectify such order on his own motion or on application made to him in this regard, within a period of forty five days from the date of issuance of such order to rectify any error(s) which is apparent on the face of record in such order.
Removal of difficulty.	15. If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty.
Removal of doubt.	16. In case of any doubt arising out of the Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.
Applicant not eligible to opt the Scheme.	17. The following categories of applicants shall not be eligible for benefits under the Scheme for a particular year under a relevant Act, where,- (a) the demand relates to erroneous refund(s) in the particular year under the relevant Act; (b) criminal proceedings have been initiated in a case for a particular year under a relevant Act, the application shall not be entertained under the Scheme to avail settlement for that particular year under that relevant Act; (c) the applicant who had applied for availing benefits under the Haryana One Time Settlement Scheme, for Recovery of Outstanding Dues, 2023 and the Haryana One Time Settlement Scheme, for Recovery of Outstanding Dues, 2025 and the application has not been rejected till the day before the appointed day.
No Appeal against the final order of settlement.	18. No appeal shall lie before any appellate authority under the relevant Act, before the Haryana Tax Tribunal, Punjab and Haryana High Court or Supreme Court against the final order of settlement or rejection passed by the jurisdictional authority under the Scheme.
Extension of time period	19. (1) The Government, either on its own motion or on representation from the stake holders may extend the time period for applying under the Scheme. (2) The Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) on case to case basis may extend time period for issuance of any notice or order to be issued under this scheme by the jurisdictional authority or allocation of correct ward by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, for a further period of not more than thirty days for reasons to be recorded in writing.

20. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any official/officer of the Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of the Scheme. (2) No proceeding shall be commenced against any official /officer merely on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of quantified outstanding dues payable by the applicant, unless there is evidence of misconduct.	Indemnity
--	-----------

Schedule – I

[see clause 8(1), (2) & (4)]

Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues only under the Haryana General Sales Tax Act, 1973

Sr. No.	Name of the relevant Act <<auto populated>>	Assessment year <<auto populated>>	Order No. vide which outstanding dues were quantified <<mandatory>>	Date of order <<mandator y>>	Total quantified outstanding dues (including tax, interest & penalty) as per order	Amount of Interest out of column (6) (in Rs.)	Amount of penalty out of column (6) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6A)	(6B)
1							
2							

Total quantified outstanding tax due out of column (6) [(6)-(6A)-(6B)] (in Rs.)	Slab of quantified outstanding tax due	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per column (9)	Settlement amount payable under the scheme (column (7)-(10))	Settlement amount of Interest in column (6A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (6B) (i.e. 0%)	Total settlement amount payable [(11)+(12)+(13)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh	100%					
	(ii) Above Rs. 1 Lakh	70%					

Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues under the relevant Acts except the Haryana General Sales Tax Act, 1973

[illegible]

Amount of tax involved in column no. (8) <<mandatory>> (Net Tax Demand) [(8)-(8A)-(8B)]	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme (The standard waiver shall be applicable slab wise)	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per clause (8)	Settlement amount payable under the scheme [column (9)-(total in 11)]	Settlement amount of Interest as in column (8A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (8B) (i.e. 0%)	Net Amount Payable (12)+(13)+(14) << mandatory>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh – 100%					
	ii) From above Rs.1 Lakh to Rs.10 Lakh – 60%					
	iii) From above Rs.10 Lakh to Rs.1 Cr. – 50%					
	iv) From above Rs.1 Cr. to Rs.10 Cr. – 40%					
	v) Above Rs.10 Cr. to Rs.30 Cr. – 35%					
	vi) Above Rs.30 Cr. to Rs.60 Cr. – 30%					
	vii) Above Rs.60 Cr. – 0%					
	Total					

Example :- The standard waiver as provided in Schedule-I & IA out of the outstanding tax amount shall be calculated slab-wise as carried out in the below example:-

Dealer M/s A has total quantified outstanding dues (tax, interest & penalty) of Rs.83 Cr. for the financial year 2015-16 under the CST Act, 1956. Out of this quantified outstanding dues amount, Rs.5 Cr. is the interest amount and Rs.5 Cr. penalty amount. He has quantified outstanding tax amount of Rs.73 Cr. He wants to submit 'C' forms. In assessment order, the rate of tax applied on sales in want of 'C' form is @13.125%. The net sale value (without element of tax) mentioned in 'C' forms is of Rs.90 Cr. having tax effect of Rs.10,01,25,000/- (tax rate @13.125% - 2% = 11.125%). **(Note:- 2% CST must remain included in the demand, if already not paid.)** According to the provisions of the scheme, interest & penalty are completely waived off.

Schedule – I A
[see clause 7(2), 8(1), (2) & (4)]

Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues under the CST Act, 1956

[illegible]

Amount of tax involved in column no. (8) <<mandatory>> (Net Tax Demand) [(8)-(8A)-(8B)]	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme (The standard waiver shall be applicable slab wise)	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per clause (8)	Settlement amount payable under the scheme [column (9)-(total in 11)]	Settlement amount of Interest as in column (8A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (8B) (i.e. 0%)	Net Amount Payable (12)+(13)+(14) << mandatory>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rs.62,98,75,000	i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh – 100%	1,00,000	00	00	00	00
	ii) From above Rs.1 Lakh to Rs.10 Lakh – 60%	5,40,000	3,60,000			3,60,000
	iii) From above Rs.10 Lakh to Rs.1 Cr. – 50%	45,00,000	45,00,000			45,00,000
	iv) From above Rs.1 Cr. to Rs.10 Cr. – 40%	3,60,00,000	5,40,00,000			5,40,00,000
	v) Above Rs.10 Cr. to Rs.30 Cr. – 35%	7,00,00,000	13,00,00,000			13,00,00,000
	vi) Above Rs.30 Cr. to Rs.60 Cr. – 30%	9,00,00,000	21,00,00,000			21,00,00,000
	vii) Above Rs.60 Cr. – 0%	00	2,98,75,000			2,98,75,000
	Total	20,11,40,000	42,87,35,000	00	00	42,87,35,000

Schedule-II

[see clause 8(6)]

Option to pay in instalments

Sr. No.	Settlement Amount under the scheme	Amount to be paid at the time of application	2nd Instalment (within 60 days from the date of provisional order of settlement) OTS-4A	3rd Instalment (within 120 days from the date of provisional order of settlement)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Upto Rs.5,00,000	Full and final settlement amount to be paid alongwith FORM OTS-1.	Nil	Nil
2.	From above Rs.5,00,000 to Rs.25,00,000	50% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1.	50% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 A.	Nil
3.	More than Rs.25,00,000	40% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1.	30% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 A.	30% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 B.

ASHIMA BRAR,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

Form OTS-1		
Schedule-I, IA and II		
[see clause 3(2) & (3), clause 6, clause 7 (ii), clause 8(2), (5) & (10) and clause 9(2)]		
APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2026		
<<System Generated Unique Number and Date>>		
Sr. No.	Particulars	
1	(a) Name of the Applicant (Please see the definition of applicant)	<< mandatory>>
	(b) Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	<< mandatory>> i. Un-registered ii. Registered pre-VAT period iii. Registered in VAT period
	(c) PAN	<< Upload Option>> + comment box <<mandatory field>>
	(d) Mobile	<< mandatory>>
	(e) E-mail id	<< mandatory>>
	(f) SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No.	<< mandatory>>
	(g) Sector/Area	<< mandatory>>
	(h) City/Town/Village	<< mandatory>>
	(i) District	<< Drop Down >><< mandatory>>
	(j) Pin Code	<< mandatory>>
	(k) State	Haryana
	(l) Jurisdictional District	<< Drop Down >>
	(m) Jurisdictional Ward	<< Drop Down >>
2	(a) Name of the Authorized signatory **	<< mandatory>>
	(b) Email id of the authorized signatory	<< mandatory>>
	(c) Mobile no. Of the authorized signatory	<< mandatory>>
	(d) Any ID Proof of the authorized signatory (PAN/Aadhar Card/ Driving License/ Voter ID Card/Passport/PPP or any other Government issued ID card)	<< upload option>> + comment box << mandatory>>

3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.	Relevant Act << Drop Down >> (only one option can be chosen) Assessment Year << Drop Down >> (only one option can be chosen)
4	Whether outstanding dues are 'quantified or not quantified'	Quantified ☐ Not Quantified ☐ << if not quantified selected, then OTS 1 should not be generated >>
5	Whether any case is pending before any appellate authority under the relevant Act, High Court, or Supreme Court.	Yes ☐ If Yes is selected then following comment boxes should open: 1. Case Number 2. Pending before Authority 3. Date of filling Appeal/ case No ☐ <<mandatory field>>
6	Whether criminal proceedings have been initiated against the applicant for any reason(s) for this year under the relevant Act;	Yes ☐ No ☐ << if yes selected, OTS 1 cannot be generated >>
7	Whether the demand for this year relates to erroneous refund(s) under the Relevant Act	Yes ☐ No ☐ << if yes selected, OTS 1 cannot be generated >>
8	Whether applied for Haryana One Time Settlement Scheme, for recovery of Outstanding Dues, 2023 or Haryana One Time Settlement Scheme, for recovery of Outstanding Dues, 2025 and the application has not been rejected till date under the Relevant Act	Yes ☐ No ☐ <<If yes, Drop down of financial year and comment box for OTS 1 reference number and date>>[Application shall not proceed further]
9	Whether seeking Declaration Linked Waiver	Yes ☐ No ☐ <<if yes selected, a list of documents provided with OTS 1 to be uploaded>><<mandatory>> Table -V
10	Details of settlement of outstanding dues only under the Haryana General Sales Tax Act, 1973 as per Schedule-I. Details of settlement of outstanding dues under the other relevant Acts except HGST, 1973 as per Schedule-IA.	

**Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues only under the
Haryana General Sales Tax Act, 1973**

Sr. No.	Name of the relevant Act <<auto populated>>	Assessment year <<auto populated>>	Order No. vide which outstanding dues were quantified << mandatory>>	Date of order << mandatory>>	Total quantified outstanding dues (including tax, interest & penalty) as per order	Amount of Interest out of column (6) (in Rs.)	Amount of penalty out of column (6) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6A)	(6B)
1							
2							

Total quantified outstanding tax due out of column (6) [(6)-(6A)-(6B)] (inRs.)	Slab of quantified outstanding tax due	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per column (9)	Settlement amount payable under the scheme (column (7)-(10))	Settlement amount of Interest as in column (6A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (6B) (i.e. 0%)	Total settlement amount payable [(11)+(12)+(13)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh	100%					
	(ii) Above Rs. 1 Lakh	70%					

Details of settlement of outstanding dues under the other relevant Acts except HGST, 1973 as per Schedule-IA.

[illegible]

3									
4									
5									
6									
7									
8									

Amount of tax involved in column no. (8) <<mandatory>> (Net Tax Demand) [(8)- (8A)- (8B)]	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme (The waiver shall be applicable slab wise)	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per clause (8)	Settlement amount payable under the scheme [column (9)- (total in 11)]	Settlement amount of Interest as in column (8A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (8B) (i.e. 0%)	Net Amount Payable (12)+(13)+(14) << mandatory>>
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh – 100%					
	ii)From above Rs.1 Lakh to Rs.10 Lakh – 60%					
	iii)From above Rs.10 Lakh to Rs.1 Cr. – 50%					
	iv)From above Rs.1 Cr. to Rs.10 Cr. – 40%					
	v)Above Rs.10 Cr. to Rs.30 Cr. – 35%					
	vi) Above Rs.30 Cr. to Rs.60 Cr. – 30%					
	vii) Above Rs.60 Cr. – 0%					
	Total					

11	Total settlement amount as per 10(14)of Table I or 10(15) of Table II as the case may be.	Auto populated figure of total of Table-I column 10(14) or Table-II column 10(15)
1	Category of Settlement amount as per 10(14) of Table I or 10(15)	Upto Rs.5 Lakh,

2	of Table II as the case may be.	From above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh, More than Rs.25 Lakh <<auto populated>>																														
13	Whether Installment Facility opted	Yes ☐ No ☐ NA ☐ (if settlement amount in Sr. No. 11 is upto Rs.5 Lakh)																														
14	Installment Schedule Table – III <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Total settlement amount (10(14) of Table I or 10(15) of Table II as the case may be)</th> <th>Amount of 1st installment payable with OTS-1 (Full payment of settlement amount, if it is upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)</th> <th>Amount of 2nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 30% if more than Rs.25 Lakh)</th> <th>Date of 2nd installment</th> <th>Amount of 3rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)</th> <th>Date of 3rd installment</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sr. No.	Total settlement amount (10(14) of Table I or 10(15) of Table II as the case may be)	Amount of 1 st installment payable with OTS-1 (Full payment of settlement amount, if it is upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)	Amount of 2 nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 30% if more than Rs.25 Lakh)	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3 rd installment	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1															
Sr. No.	Total settlement amount (10(14) of Table I or 10(15) of Table II as the case may be)	Amount of 1 st installment payable with OTS-1 (Full payment of settlement amount, if it is upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)	Amount of 2 nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 30% if more than Rs.25 Lakh)	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3 rd installment																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																										
1																																
15	Details of Payments made. Table – IV <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Serial number of the GRN</th> <th>Date of the GRN</th> <th>Serial number of CIN</th> <th>Date of CIN</th> <th>Amount (in Rs.)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> ☐ I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere. </td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sr. No.	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1						2						☐ I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.				Total	
Sr. No.	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																											
1																																
2																																
☐ I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.				Total																												
16	Documents to be uploaded (Except at Sr. No. 9)	1. Permanent Account Number 2. Assessment order vide																														

		which dues were quantified 3. Proof of pending appeals, if any 4. Proof of payment 5. Any other document																																													
17	Table – V List of statutory forms/documents to be uploaded with OTS 1 in compliance to column 9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th><th>Name of the document/statutory form</th><th>Number of the document/statutory form</th><th>Date of the document/statutory form</th><th>Value of transactions</th><th>Tax/TT C involved</th><th>Whether the document/statutory form physically submitted & tallied (Yes/No) (for office use only)</th><th>Date & reference of the document/statutory form (for office use only)</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th><th>(8)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>							Sr. No.	Name of the document/statutory form	Number of the document/statutory form	Date of the document/statutory form	Value of transactions	Tax/TT C involved	Whether the document/statutory form physically submitted & tallied (Yes/No) (for office use only)	Date & reference of the document/statutory form (for office use only)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																								
Sr. No.	Name of the document/statutory form	Number of the document/statutory form	Date of the document/statutory form	Value of transactions	Tax/TT C involved	Whether the document/statutory form physically submitted & tallied (Yes/No) (for office use only)	Date & reference of the document/statutory form (for office use only)																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																								
18	Declaration: I herein above declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and as per the material/documents on record. No part of it is false and nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2026 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof. I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case. (Name of the applicant) Place: _____ <<auto generated>>(editable) Date: <<auto generated>> Note: -All the amount to be paid in Rs.																																														

Constitution of Business	Person who can be authorized to file the application of OTS
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorized Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Society/Club/Trust/AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Directors
Unlimited Company	Managing/Whole-time Directors
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorized Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorized Person in India
Others (specify)	Person in charge

Form OTS-1A							
[see clause 8(7)]							
INTIMATION FOR SECOND INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2026							
<<System Generated Unique Number and Date>>							
1	(a)	Name of the Applicant	<< auto populated>>				
	(b)	Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	<< auto populated>> i. Un-registered ii. Registered pre-VAT period iii. Registered in VAT period				
	(c)	System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -1	Input Box<< auto populated>>				
	(d)	System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -4A	<< auto populated>>				
	(e)	Jurisdictional District	<< auto populated>>				
	(f)	Jurisdictional Ward	<< auto populated>>				
2	(a)	Name of the Authorized signatory	<< auto populated>>				
	(b)	Email id of the authorized signatory	<< auto populated>>				
	(c)	Mobile no. of the authorized signatory	<< auto populated>>				
3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.		Relevant Act<<auto populated>> Assessment Year <<auto populated>>				
4	Total settlement amount as per Sr. No. 11 of FORM OTS-1		<<Auto populated>>				
5.	Total settlement amount as per FORM OTS-4A						
6	Installment Schedule << auto populated from FORM OTS 4A>>						
	Sr. No.	Total settlement amount (It should be equal to settlement amount in column 10(14) of Table I or 10(15) of Table	Amount of 1 st installment paid with OTS-1 (Full payment of settlement amount, if it is upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh	Amount of 2 nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3 rd installment

		II as the case may be) (OTS-4A)	to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)	30% if more than Rs.25 Lakh)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1						
7	Installment amount to be paid as per 6(4) above						
8	Interest paid on delayed payment of instalment @18% p.a. if any.						
9	Details of Payments made.						
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	1						
	2						
	☐ I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.					Total (Sr. No.7+8)	
10	Documents to be uploaded				1. Proof of payment 2. Any other document		
11	Declaration: I herein declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2026 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof. I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case. (Name of the applicant) Place: _____ <<auto generated>>(editable) Date: <<auto generated>> Note: -All the amount to be paid in Rs.						

Form OTS-1B																
[see clause 8(7)]																
INTIMATION FOR THIRD INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2026																
<<System Generated Unique Number and Date>>																
Sr. No.	Particulars															
1	(a) Name of the Applicant	<< auto populated>>														
	(b) Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	<< auto populated>> i. Un-registered ii. Registered pre-VAT period iii. Registered in VAT period														
	(c) System Generated Unique Number & Date of Form OTS -1	Input Box<< auto populated>>														
	(d) System Generated Unique Number & Date of Form OTS -1A	Input Box<< auto populated>>														
	(e) System Generated Unique Number & Date of Form OTS -4A	Input Box<< auto populated>>														
	(f) Jurisdictional District	<< auto populated>>														
	(g) Jurisdictional Ward	<< auto populated>>														
2	(a) Name of the Authorized signatory	<< auto populated>>														
	(b) Email id of the authorized signatory	<< auto populated>>														
	(c) Mobile no. of the authorized signatory	<< auto populated>>														
3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.	Relevant Act<<auto populated>> Assessment Year <<auto populated>>														
4	Total settlement amount as per Sr. No. 11 of FORM OTS-1	<<Auto populated>>														
5	Total settlement amount as per FORM OTS 4-A															
6	Installment Schedule << auto populated from FORM OTS 4A>>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Sr. No.</th> <th style="width: 15%;">Total settlement amount (It should be equal to settlement amount in column 10(14) of</th> <th style="width: 15%;">Amount of 1st installment paid with OTS-1 (Full payment of settlement amount, it is</th> <th style="width: 15%;">Amount of 2nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25</th> <th style="width: 15%;">Date of 2nd installment</th> <th style="width: 15%;">Amount of 3rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)</th> <th style="width: 15%;">Date of 3rd installment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Total settlement amount (It should be equal to settlement amount in column 10(14) of	Amount of 1 st installment paid with OTS-1 (Full payment of settlement amount, it is	Amount of 2 nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3 rd installment								
Sr. No.	Total settlement amount (It should be equal to settlement amount in column 10(14) of	Amount of 1 st installment paid with OTS-1 (Full payment of settlement amount, it is	Amount of 2 nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3 rd installment										

		Table I or 10(15) of Table II as the case may be) (OTS-4A)	upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)	Lakh or 30% if more than Rs.25 Lakh)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1						
7	Installment amount to be paid as per 6(6) above.						
8	Interest paid on delayed payment of instalment @18% p.a. if any.						
9	Details of Payments made.						
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN	CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	1						
	2						
	☐ I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.					Total (Sr. No.7+8)	
10	Documents to be uploaded					1. Proof of payment 2. Any other document	
11	Declaration: I herein declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2026 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof. I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case. (Name of the applicant) Place: _____ <<auto generated>>(editable) Date: <<auto generated>> Note: -All the amount to be paid in Rs.						

FORM OTS-2**[see clause 7(ii) and clause 8(12)]****Acknowledgement of Application in Form OTS-1****Application with/without DLW**

Your application in Form OTS-1, reference no. _____ dated _____ for settlement of quantified outstanding dues, pertaining to _____ (Name of the Relevant Act), under the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026 for the assessment year _____ related to M/s _____ is hereby acknowledged.

Note:- For applications having claim of DLW, a separate acknowledgment of documents/statutory forms received physically shall be issued.

Excise and Taxation Department
Government of Haryana

**** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature ****

FORM OTS-2A**[see clause 7(ii) & clause 9(1)]****Acknowledgement of Application in Form OTS-1****Applications with DLW**

Your application in Form OTS-1, reference no. _____ dated _____ for settlement of quantified outstanding dues, pertaining to _____ (Name of the Relevant Act), under the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026 for the assessment year _____ related to M/s _____ was submitted on _____.

☐ The documents/statutory forms have been furnished in support of the DLW claim are tallied with the documents/ statutory forms mentioned in Table-V of OTS application and found in order.

☐ The documents/statutory forms have been furnished in support of the DLW claim are tallied with the documents mentioned in Table-V of OTS application and the documents mentioned in the list attached with this correspondence only are acknowledged.

Note:- The following list of documents received physically shall be attached with this acknowledgment.

Excise and Taxation Department
Government of Haryana

**** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature ****

**List of documents/ statutory forms physically received in response to the claim DLW mentioned in
OTS 1**

Sr. No.	Name of the document/ statutory form	Number of the document/ statutory form	Date of the document/ statutory form	Value of transactions	Tax/ITC involved	Whether the document/ statutory form physically submitted & tallied (Yes/No)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<<auto populated>>	<<auto populated>>	<<auto populated> >	<<auto populated>>	<<auto populated> >	To be filled by the jurisdictional authority

FORM OTS-3

[see clause 7(v) and clause 9(4)]

Deficiency Notice

To

Name of the applicant<< auto populated >>

Address of the applicant<< auto populated >>

TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated >>

OTS 3 Reference No.<< system generated>>**Dated**<<system generated>>

Subject: - Deficiency Notice.

Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<<auto populated>>**Dated**<<auto populated>>

Whereas you have made an application under The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026. Upon examination of your application, the following deficiencies have been observed in **Form OTS-1**.

(i)

(ii)

(iii)

<< Upload option>>

Your reply to this notice must reach the undersigned in FORM OTS-3A alongwith proof of payment (if any) within fifteen days of receipt of this notice. In case of failure to comply with the terms of this notice, your application will be rejected without further notice and the payment made under the Scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.

Excise and Taxation Officer

District _____

Ward _____

FORM OTS 3A

[see clause 7(v) and clause 9(4), (5) & (6)]

Reply to Deficiency Notice

To

The Excise & Taxation Officer,**District**<<auto populated>>**Ward**<<auto populated>>**Name of the applicant**<< auto populated>>**Address of the applicant**<< auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)**<< auto populated>>**Subject: - Reply to Deficiency Notice in FORM OTS 3.****Reference: - FORM OTS 3 Reference No.**<< auto populated>>**Dated**<<auto populated>>

This is with reference to the deficiency notice issued in **FORM OTS 3** vide no.<< auto populated>> dated <<auto populated>> from your office. The point wise reply to the deficiencies/discrepancies raised is as under:

- a)
- b)
- c)

Detail of Payment made with OTS 3A					
Sr. No.	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
Total					
Documents to be uploaded				1. Proof of payment 2. Any other document	

(Name of the applicant)

Place: _____

<<auto generated>>(editable)

Date: <<auto generated>>

Note:-All the amount to be paid in Rs.

FORM OTS-4

[see clause 9(3) & (5)]

Final Order of Settlement

To

Name of the applicant<< auto populated>>**Address of the applicant**<< auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)**<< auto populated>>**Order No.**<< system generated>>**Dated**<< system generated>>**Subject: - Final Order of Settlement.****Reference: - FORM OTS 1 Reference No.**<< auto populated>>**Dated**<< auto populated>>

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026. Your application has been examined in detail, accordingly the final order of settlement is hereby passed as under:

Name of the Relevant Act << auto populated>>**Assessment Year** << auto populated/ editable>>**Table-I**

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Settlement Amount payable as per FORM OTS-1/OTS-4A	
	a) Interest amount if paid with OTS-1A.	
	b) Interest amount if paid with OTS-1B.	
	Total	
2.	Less: -	
	a) Amount paid by the applicant in FORM OTS 1 (1 st installment)	
	b) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1A (2 nd installment)	
	c) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1B (3 rd installment)	
3.	Balance (total of 1- total of 2)	<<It should be zero>>

The appeals pending, if any, before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court have been withdrawn and proof of such withdrawal of appeal has been submitted in FORM OTS-6, bearing number <<auto populated>>dated<<auto populated>>.

On perusal of your application, payments made, and all other documents in consideration, I find that your following quantified outstanding dues have been settled through The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026.

Table-II

Sr. No.	Relevant Act	Assessment Year	Settlement Amount paid	Amount of arrears settled			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
				Tax	Interest	Penalty	Total
1.							
2.							
Total							

Excise and Taxation Officer

District_____

Ward_____

FORM OTS-4A

[see clause 8(7) & clause 9(5), (8) & (9)]

Order of Provisional Settlement

To

Name of the applicant<<auto populated>>**Address of the applicant**<<auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)**<<auto populated>>**Order No.**<<system generated>>**Dated**<< system generated>>**Subject: - Provisional Order of Settlement.****Reference: - FORM OTS 1 Reference No.**<<auto populated>> **Dated**<<auto populated>>

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026. On examination, your application has been found to be in order. Accordingly, the order of provisional settlement is, hereby, passed as follows:

Name of the Relevant Act <<auto populated>>**Assessment Year**<<auto populated/ editable>>**Table – I**

Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues only under the Haryana General Sales Tax Act, 1973

Sr. No.	Name of the relevant Act <<auto populated>>	Assessment year <<auto populated>>	Order No. vide which outstanding dues were quantified <<mandatory>>	Date of order <<mandatory>>	Total quantified outstanding dues (including tax, interest & penalty) as per order	Amount of Interest out of column (6) (in Rs.)	Amount of penalty out of column (6) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6A)	(6B)
1							
2							

Total quantified outstanding tax due out of column (6) [(6)-(6A)-(6B)] (in Rs.)	Slab of quantified outstanding tax due	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per column (9)	Settlement amount payable under the scheme (column (7)-(10))	Settlement amount of Interest as in column (6A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (6B) (i.e. 0%)	Total settlement amount payable [(11)+(12)+(13)]
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh	100%					
	(ii) Above Rs. 1 Lakh	70%					

Table – II

Details of settlement of outstanding dues under the other relevant Acts except HGST, 1973 as per Schedule-IA.

S r. N o.	Name of the relevant Act <<auto populated >>	Assessm ent year <<auto populated >>	Order No. vide which outstandin g dues were quantified << mandatory >>	Date of order << mandato ry >>	Total amount involved in order stated in column no. (4) (tax, interest & penalty) <<manda tory>>	Claim of Waiver on account of submissio n of document s/statutor y forms (DLW)	Net outstandi ng dues (column (6)-(7)) (tax, interest & penalty)	Amou nt of intere st out of colum n (8)	Amou nt of penalt y out of colum n (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8A)	(8B)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Amount of tax involved in column no. (8) <<mandator y>> (Net Tax Demand) [(8)- (8A)- (8B)]	Percentage of standard waiver as per slabs of the scheme (The waiver shall be applicable slab wise)	Total slab wise standard waiver of tax under the scheme as per clause (8)	Settlement amount payable under the scheme [column (9)- (total in 11)]	Settlement amount of Interest as in column (8A) (i.e. 0%)	Settlement amount of Penalty as in column (8B) (i.e. 0%)	Net Amount Payable (12)+(13)+ (14) << mandatory> >
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	i) From Rs.1 to Rs.1 Lakh – 100%					
	ii)From above Rs.1 Lakh to Rs.10 Lakh – 60%					
	iii)From above Rs.10 Lakh to Rs.1 Cr. – 50%					

	iv) From above Rs.1 Cr. to Rs.10 Cr. – 40%					
	v) Above Rs.10 Cr. to Rs.30 Cr. – 35%					
	vi) Above Rs.30 Cr. to Rs.60 Cr. – 30%					
	vii) Above Rs.60 Cr. – 0%					
	Total					

Table-III

Installment Schedule						
Sr. No.	Total settlement amount (It should be equal to settlement amount in column 10(14) of Table I or 10(15) of Table II as the case may be)	Amount of 1st installment paid with OTS-1 (Full payment of settlement amount, if it is upto Rs.5 Lakh. 50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 40% if more than Rs.25 Lakh)	Amount of 2nd installment (50% if settlement amount is from above Rs.5 Lakh to Rs.25 Lakh or 30% if more than Rs.25 Lakh)	Date of 2nd installment	Amount of 3rd installment (30% of the settlement amount, if it is more than Rs.25 Lakh)	Date of 3rd installment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

Table-IV

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
(i)	Settlement amount payable as per Table-III (Column 2 of Table-III)	
(ii)	Less: Amount paid by the applicant (Column 3 of Table-III)	
(iii)	Balance (1-2)	

This is a provisional order and the final order of settlement in FORM OTS 4 shall only be passed after full payment of settlement amount and submission of proof of withdrawal of pending appeals in FORM OTS 6, if applicable.

Excise and Taxation Officer

District _____

Ward _____

FORM OTS-5

[see clause 8(9) & clause 9(3), (5), (6) & (8)]

Order of Rejection

To

Name of the applicant << auto populated>>**Address of the applicant** << auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)** << auto populated>>**Order No.**<< system generated>> **Dated**<< system generated>>**Subject: - Order of Rejection.****Reference: - FORM OTS-1 reference No.** << auto populated>>**dated**<< auto populated>>**FORM OTS-3 No., if applicable**<< auto populated>>**dated**<< auto populated>>**Name of the relevant Act** <<auto populated>>**Assessment year** <<auto populated>>

Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2026 vide FORM OTS-1. Your application has been examined and it is not found in order and the following reasons have been recorded to reject your application in FORM OTS-1: -

(a)

(b)

(c)

<<upload option>>

Further, it is intimated that the amount paid under the scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act.

Excise and Taxation Officer

District_____

Ward_____

FORM OTS 6

[see clause 9 (7) & (8)]

Intimation regarding withdrawal of pending Appeal before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court.

<<system generated reference number>>

To

The Excise & Taxation Officer,**District <auto populated>****Ward <auto populated>****Name of the applicant<< auto populated>>****Address of the applicant<< auto populated>>****TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>**

Subject: - Withdrawal of Appeal pending before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court.

Reference:- FORM OTS-1 Reference No. <<auto populated>>Dated <<auto populated>>

In compliance of my declaration in FORM OTS-1 and your order in FORM OTS-4A bearing number <<auto populated>> dated <<auto populated>>, I (name of the applicant) <<auto populated>> have withdrawn the appeal(s) mentioned in the table below under the <<auto populated>> (name of the relevant act). The proof of such withdrawal is/are annexed herewith.

Sr. No.	Assessment Year	Pending Before (mention the name of the Authority)

<<upload option>>

I understand that final order of settlement in FORM OTS-4 shall only be passed by the jurisdictional authority on acceptance of such proof of withdrawal.

(Name of the applicant)

Place: _____

<<auto generated>>(editable)

Date: <<auto generated>>

ASHIMA BRAR,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.